https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

उत्तर प्रदेश में 81 परियोजनाओं का शिलान्यास

वर्ष-13, अंक-16 16-31 अगस्त, 2018 (पाक्षिक) ₹20

राजस्थान गौरव यात्रा

गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, युवाओं व महिलाओं की बेहतरी के प्रति समर्पित भाजपा

अनु.जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पारित

पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

किसानों का भविष्य संवारने की कोशिश

राजसमंद में 'राजस्थान गौरव यात्रा' का शुभारम्भ के बाद जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे

उत्तर प्रदेश स्थित मुगलसराय जंक्शन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में नामकरण के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल का स्वागत करते उत्तर प्रदेश भाजपा नेतागण

उत्तर प्रदेश स्थित प्रयाग में आध्यात्मिक गुरूओं के साथ यमुना आरती करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

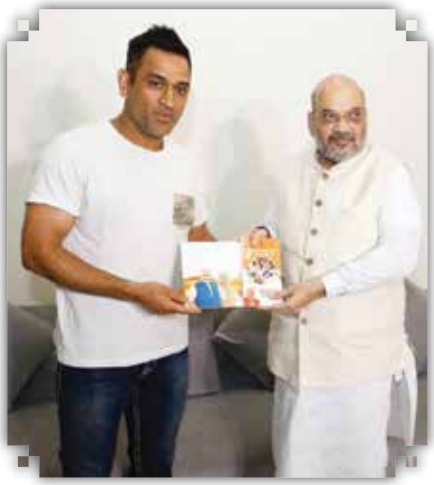

रांची (झारखंड) में 'सम्पर्क फॉर समर्थन' के तहत क्रिकेटर एमएस धोनी से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

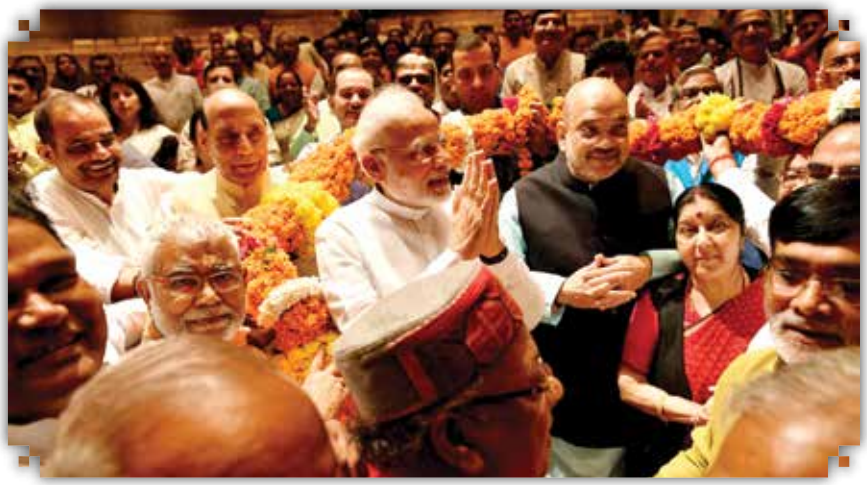

नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाले ऐतिहासिक बिल पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिवादन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **हम हमेशा देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित रहते हैं: अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 अगस्त को राजस्थान के राजसमंद जिला स्थित जेके स्टेडियम, कांकरोली से "राजस्थान गौरव यात्रा" का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर...

वैचारिकी
संस्कृति और समाज 12

श्रद्धांजलि
नहीं रहे द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि 14

लेख
किसानों का भविष्य संवारने की कोशिश 22
राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण संप्रभुता बनाम वोट-बैंक 23

साक्षात्कार
कार्यकर्ता ही हमारे दल का बल है: मुरलीधर राव 18

अन्य
संसद से पारित हुआ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति... 09
'कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती है' 16
कारगिल युद्ध में भारत की शानदार जीत के महानायकों को विनम्र... 17
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 20
7.94 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण 26
'प्रतिभा निखारने का बेहतर प्रयास हुआ' 30
हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति चुने गये 31
मन की बात 32
समेकित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहन: राधामोहन सिंह 33

स्थायी स्तंभ
सोशल मीडिया से 04
व्यंग्य चित्र 04

08 'जब तक उत्तर प्रदेश का पूर्ण विकास नहीं होता तब तक देश का समग्र विकास नहीं हो सकता'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 अगस्त बाकले ग्राउंड,...

10 जीएसटी जैसे सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 7 अगस्त को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी जैसे सुधारों और सरकार की हालिया...

11 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) द्वारा 6.16 लाख से ज्यादा लेन-देन

राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)' ने अपने प्लेटफॉर्म...

28 प्रधानमंत्री की रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 से 27 जुलाई तक रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

हां, मैं भागीदार हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैं हर दुखियारी मां की तकलीफों का भागीदार हूं। मैं किसान के दर्द का भागीदार हूं। मैं देश के युवाओं के सपनों को साकार करने में भागीदार हूं। मैं गरीब परिवार की पीड़ा का भागीदार हूं।

@AmitShah

कल्याण योजनाओं के अंतर्गत दलहन पर 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की केन्द्रीय सब्सिडी देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीबों को पौष्टिक भोजन व उनके स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के प्रति संवेदना को दर्शाता है। केंद्रीय भंडारण को भर आज सस्ती दाल देना मोदी जी की दूरदर्शिता का भी प्रतिबिम्ब है।

@rajnathsingh

एनआरसी को 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित 'असम समझौते' के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है और लगातार इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है।

facebook

सरकार सरकार में फर्क है। जनता की ज़िंदगी बदलने की हमारी कोशिश है। विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये किसानों के बैंक खातों में हमने डलवाए हैं। इतने कांग्रेस देने की कल्पना तक नहीं कर पाई। किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दिलवानी है। मध्यप्रदेश में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री #JankalyanYojana (संबल) योजना के अंतर्गत गरीब भाई-बहनों को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरल बिजली बिल का प्रावधान हमने किया। 26,203 परिवारों के 38 करोड़ 46 लाख रुपये के बिजली के बिल अकेले राघोगढ़ में हमने भरवाए। पुलिस में बेटियों की 33% भर्तियां होंगी। बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी पर लटकाने का कानून हमने बनाया। — **शिवराज सिंह चौहान**

किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान सरकार ने राजकीय एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने की फसलों की खरीद के लिए 4438.28 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें से 221 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों को उनके फसल उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी की सरसों और चने की फसलों की खरीद के लिए विशेष प्रबंध किए थे और अब किसानों को उनकी फसल खरीद भुगतान समय पर हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

— **वसुंधरा राजे**

व्यंग्य चित्र

साभार : सोशल मीडिया

समरस समाज की ओर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया। साथ ही लम्बे समय से अटका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग विधेयक भी पारित हो गया। ये कदम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मोदी सरकार 'साफ नीयत एवं सही विकास' वाली सरकार है। 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ–साथ एक समरस समाज के निर्माण के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा एवं समान अवसर के सिद्धांतों को भी सुनिश्चित करता है।

अ.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय से एक अनिश्चय के वातावरण का निर्माण हुआ। यह विधेयक जिन परिस्थितियों में 1989 में पारित हुआ था, उनमें आज भी कोई व्यापक सुधार नहीं हुआ है। सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने पर भी इस विधेयक पर अनश्चितता बनी हुई थी तथा यह आवश्यक हो गया था कि संसद इस कानून में संशोधन करने के लिये अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करे। देश में बने लगभग सभी कानूनों का दुरुपयोग एक समस्या तो है ही, परन्तु इसके आधार पर कानूनों को नहीं बनाना, उन्हें कमजोर करना या निरस्त करना भी कोई स्वस्थ समाधान नहीं माना जा सकता। अनु.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) कानून देश में एक विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि में बनाया गया था, क्योंकि सामान्य कानून से इन वर्गों को राहत पहुंचाना कठिन प्रतीत हो रहा था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से इन वर्गों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी एवं कुछ तत्वों द्वारा समाज में संदेह के वातावरण का निर्माण किया जा रहा था। इन परिस्थितियों में शीघ्रता से इस कानून में संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं पूरा संसद बधाई के पात्र हैं।

राजग संसदीय दल का नेता चुने जाते ही नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, कमजोर, पिछड़ा एवं वंचित वर्गों के लिये समर्पित सरकार होगी। अपने शासनकाल में मोदी सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिये हैं, जिससे इन वर्गों के विकास एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा सामाजिक सद्भाव एवं सुरक्षा के वातावरण में इनके स्वाभिमान एवं आत्म–गौरव की भावना मजबूत हुई है।

राजग संसदीय दल का नेता चुने जाते ही नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, कमजोर, पिछड़ा एवं वंचित वर्गों के लिये समर्पित सरकार होगी। अपने शासनकाल में मोदी सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिये हैं, जिससे इन वर्गों के विकास एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा सामाजिक सद्भाव एवं सुरक्षा के वातावरण में इनके स्वाभिमान एवं आत्म–गौरव की भावना मजबूत हुई है। मोदी सरकार ने शुरू से ही अनु.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) कानून को सशक्त किया है तथा 2016 में इसका संशोधन कर 22 से बढ़ाकर 47 अपराध इसके दायरे में ला दिया। इतना ही नहीं, पीड़ितों को 85,000 रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक की राहत राशि का भी प्रावधान किया, जिसका सात दिनों के अंदर भुगतान हो सके। इस संशोधन के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित न्याय भी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जिसके अंतर्गत चार्जशीट दायर होने के दो महीने के अन्दर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है। यह विषय पूर्व के सरकारों के पास वर्षों से लंबित था, परन्तु इसका निवारण नहीं किया जा सका था। मोदी सरकार ने इस दिशा में शीघ्रता से कार्य कर इस वर्ग को एक बड़ी राहत दी।

भाजपा नीत राजग सरकार ने कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। दलित–आदिवासी वर्गों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सामाजिक अधिकारिता मंत्रालयों के विभिन्न निगमों, मुद्रा योजना एवं स्टैण्ड–अप योजना से इन वर्गों में आत्मविश्वास से भरे नये उद्यमियों का उदय हो रहा है। बाबा साहेब की 125वीं वर्ष जयंती को पूरे देश में पूरे धूमधाम से मनाकर उनके विचारों को कार्यान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। बाबा साहेब से संबंधित पांच पवित्र स्थलों को पंचतीर्थ घोषित कर उनके विकास का कार्य प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में रहा है। साथ ही लंदन में 'अंबेडकर हाउस' प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित किया। यही नहीं, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी मैला ढोने की परंपरा कई जगह जारी थी, ऐसे 13,828 मैला ढोने वालों को कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण देकर 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति को सहायता राशि देकर पुनर्स्थापित किया गया है। पदोन्नति में आरक्षण पर उत्पन्न गतिरोध को भी सरकार ने कुशलतापूर्वक दूर किया है।

वर्तमान सरकार ने दलित–आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं, जिससे इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। अनु.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) विधेयक में संशोधन कर प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व आरंभिक जांच की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये भी अब जांच अधिकारी को किसी की मंजूरी करने की आवश्यकता नहीं है। इन संशोधनों को किसी भी अदालत अथवा अन्य कानूनों से प्रभावित नहीं किया जा सकता, न ही अभियुक्त इन मामलों में अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकते हैं। इन संशोधनों से यह कानून और भी अधिक सशक्त हुआ है तथा इन वर्गों में अब सुरक्षा की भावना और बढेंगी। पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक पर जो लोग बार–बार रोड़े अटका रहे थे, इस मुद्दे पर भी समाज में संदेह का वातावरण बनाकर टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते थे। संसद में सर्वसम्मति से इस विधेयक पारित होने से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है और अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिये वे अब दूसरे बहाने ढूंढ़ रहे हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

हम हमेशा देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित रहते हैं: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 अगस्त को राजस्थान के राजसमंद जिला स्थित जेके स्टेडियम, कांकरोली से "राजस्थान गौरव यात्रा" का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में विकास की गति को और तेज करने एवं राज्य को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए जनता से फिर एक बार श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने आज मेवाड़ की वीर भूमि पर भगवान श्री चारभुजा नाथ जी महाराज के दर्शन किये और पूजा अर्चना की। इस जनसभा में लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए और जन-सैलाब का उत्साह देखते ही बनता था। ज्ञात हो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 4 अगस्त से 40 दिनों तक चलने वाली "राजस्थान गौरव यात्रा" लगभग छः हजार किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करते हुए आगामी 30 सितम्बर, 2018 को पुष्कर में पूर्ण होगी।

श्री शाह ने कहा कि राजस्थान गौरव यात्रा में उमड़े जन-सैलाब से यह स्पष्ट हो गया है कि 'गौरव यात्रा' आज ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 'विजय यात्रा' में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की किसी भी सरकार में देश की जनता को अपने काम-काज का हिसाब देने का साहस नहीं है, यह साहस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि हम हमेशा देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने विकास को गरीब-से-गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि "राजस्थान गौरव यात्रा" पर कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम चालीस सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी हमसे केंद्र सरकार के चार सालों का हिसाब मांग रहे हैं। राहुल जी, आप हमसे चार साल का हिसाब क्या मांगते हो, देश की जनता आपसे देश के लिए आपकी चार पीढ़ी के काम-काज का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक ही परिवार के चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, राजस्थान में शासन किया, लेकिन आज तक उन्होंने गरीबों को गरीब ही बनाए रखा, उन्हें विकास से महरूम ही रखा।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार की विकास योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वसुंधरा राजे सरकार ने विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का और समाज के हर वर्ग को स्पर्श करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब राजस्थान आयें, तो राज्य की जनता उनसे यह जरूर पूछे कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए क्या क्या है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 13वें वित्त आयोग में राजस्थान को विकास के लिए केवल 1,09,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राजस्थान के लिए 2,63,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जो सोनिया-मनमोहन सरकार की तुलना में ढाई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के लिए 116 से अधिक सर्वस्पर्शी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसे राज्य की वसुंधरा राजे सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य की जनता एक बार फिर से भाजपा में विश्वास व्यक्त करते हुए पहले से भी अधिक बहुमत के साथ हमें सरकार बनाने का मौक़ा देगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बाजरा का समर्थन मूल्य 2,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे राज्य के किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आगामी सितंबर माह से देश के 50 करोड़ गरीब लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त उपलब्ध कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के चार सालों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग साढ़े सात करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया, उज्ज्वला योजना के तहत साढ़े चार करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए, बिजली से वंचित देश के लगभग 19 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई, दो करोड़ घर बनाए गए और अब सौभाग्य योजना से हर घर को रौशन करने पर काम किया जा रहा है।

'एनआरसी ड्राफ्ट' पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध इसलिए कर रही है ताकि उसकी वोटबैंक की राजनीति चलती रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से जाना चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और एनआरसी के मुद्दे पर उनका और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? उन्होंने कहा कि भले ही 'एनआरसी' का विरोध और बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कांग्रेस के लिए वोटबैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का विषय हो, लेकिन हमारे लिए यह देश की सुरक्षा का सवाल है और हम घुसपैठियों को चिह्नित करके ही रहेंगे, देश की जनता को हम यह वचन देते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में यह दुष्प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार ने एससी-एसटी एक्ट को बदल दिया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण एससी-एसटी एक्ट में बदलाव आया था, जबकि मोदी सरकार ने अदालत के इस फैसले को पलटते हुए कठोर क़ानून बनाने का काम किया है और एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को लोक सभा से भी पास करा लिया गया है।

ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि हम पहले भी इस विधेयक को लेकर आये थे, लेकिन कांग्रेस ने ही राज्य सभा में इसे पारित नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हम देश के पिछड़े समाज को न्याय दिलाने और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के लिए विधेयक को लेकर आये हैं, लोक सभा ने इसे पारित भी कर दिया है, यदि राज्य सभा में कांग्रेस ने इस विधेयक को नहीं रोका तो यह कार्य भी मोदी सरकार पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब राजस्थान आयें तो राज्य की जनता उनसे यह सवाल जरूर करे कि कांग्रेस पार्टी राज्य सभा में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक का समर्थन करेगी या नहीं?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर आज तक राजस्थान के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जबकि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा सरकार राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ राजस्थान के गांव-गांव और घर-घर जाएं कि इस बार पहले से भी अधिक बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है।

'जब तक उत्तर प्रदेश का पूर्ण विकास नहीं होता, तब तक देश का समग्र विकास नहीं हो सकता'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 अगस्त बाकले ग्राउंड, मुगलसराय (उत्तर प्रदेश) में मुगलसराय जंक्शन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में लोकार्पण किया और इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महान मनीषी एवं भारतीय जन संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनकी दूरदर्शिता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के विकास कार्यक्रमों पर भी विशेष रूप से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन यार्ड का "स्मार्ट यार्ड" में उन्नयन एवं रूट रिले इंटरलॉकिंग प्रणाली का उन्नयन करने की योजना का शुभारंभ करने के साथ-साथ स्टेशन विकास योजना का भी कार्यारंभ किया। उन्होंने सप्ताह में दो दिन चलने वाली 14261/62 एकात्मता एक्सप्रेस वाया सुल्तानपुर एवं प्रथम पूर्णतः महिला कर्मियों द्वारा संचालित मालगाड़ी के परिचालन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री महेंद्र पांडेय, उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, भाजपा सांसद एवं भाजपा विधायक भी उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस स्थान पर हमारे मनीषी और पथ-प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की निर्मम हत्या हुई थी, आज उसी मुगलसराय जंक्शन को पंडित जी के नाम के साथ जोड़ने का महान कार्य संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में इसी स्थान पर 10 एकड़ भूमि में हमारी विचारधारा के महास्तंभ, प्रखर राष्ट्रभक्त और दुनिया को एकात्म मानववाद एवं 'अंत्योदय' का सिद्धांत भेंट करने वाले महर्षि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में एक भव्य स्मारक और रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्मारक एवं रिसर्च सेंटर देश के गांव, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और आदिवासियों के उत्थान का संवाहक बनेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी मुगलसराय की यह भूमि देश को विकास का नया संदेश देने वाली है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा हमेशा से यह मानना है कि जब तक उत्तर प्रदेश का पूर्ण विकास नहीं होता तब तक देश का समग्र विकास नहीं हो सकता, यूपी में भी विशेषकर पूर्वांचल के विकास के बगैर देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में पूर्वांचल में विकास योजनाओं पर जितना पैसा खर्च नहीं हो पाया, उससे अधिक मोदी सरकार ने चार सालों में खर्च कर इस क्षेत्र को विकास के नए आयामों के साथ जोड़ा है।

सपा-बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज देश भर में भ्रम फैला रहा है कि बुआ-भतीजा यदि इकट्ठे आ गए तो यूपी में भाजपा की क्या स्थिति होगी? उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश की जनता को भलीभांति जानता हूं, यदि

राहुल गांधी भी बुआ-भतीजा के साथ जुड़ जाएं, फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 73 से 74 होगी, 72 नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाने का दिवास्वप्न देख रहा है, लेकिन आज भी यूपी में भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहरायेगा और कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश की महान जनता का कोटिशः धन्यवाद करते हुए श्री शाह ने कहा कि आपके ही आशीर्वाद से केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी यहीं बनारस से सांसद हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार, यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश की महान जनता के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में एक भव्य स्मारक और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का बड़ा कार्य शुरू होने जा रहा है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ■

संसद से पारित हुआ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 गत 6 अगस्त को लोकसभा में पारित होने के बाद 9 अगस्त को राज्यसभा में भी पारित हो गया। इस मौके पर भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने कहा कि वह अच्छी नीयत, अच्छी नीति और अच्छी कार्ययोजना के साथ इन वर्गों के हकों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। गौरतलब है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 9 अगस्त को राज्यसभा में संशोधन विधेयक, 2018 पेश किया था।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही संबोधन में स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों, पिछड़े लोगों की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में हमने वैसा करके भी दिखाया है और इस संबंध में किसी को कोई आशंका नहीं करनी चाहिए।

श्री गहलोत ने कहा कि वह अच्छी नीयत, अच्छी नीति और अच्छी कार्ययोजना के साथ कठोर प्रयास कर इन वर्गों के हकों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। उन्होंने कहा कि विधेयक में विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

श्री गहलोत ने कहा कि यह सरकार शुरू से ही इन वर्गों के लोगों के हकों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रही है। इस सरकार की शुरू से ही इन वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद विधेयक लाए जाने की पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया और कहा कि जिस मंशा से मूल कानून बनाया गया था, उसे बहाल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

एससी, एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पारित होना ऐतिहासिक: नरेन्द्र मोदी

भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में 7 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा से एससी, एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पारित होने को ऐतिहासिक बताया और पार्टी नेताओं एवं सांसदों से इन कार्यों को सक्रियता के साथ जनता के बीच रखने को कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से समाज के वंचित वर्गों को इसका इंतजार था। संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक पारित किया है जो देश भर में ओबीसी समुदाय को मजबूत बनायेगा। प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने को महत्वपूर्ण पहल बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के वंचित वर्गों के समग्र विकास की जरूरत है और उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इन कार्यों में इन वर्गों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक सशक्तिकरण शामिल है।

प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं और सांसदों से सरकार के इन कार्यों को जनता के समक्ष मजबूती से रखने को कहा। उन्होंने सत्र समाप्त होने के बाद पार्टी सांसदों से अपने अपने क्षेत्रों में इन कार्यों को सक्रियता से एवं मुखर होकर पेश करने को कहा।

दलितों का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा: अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि दलितों का अपमान करने की विपक्षी दल की परंपरा रही है। सिलसिलेवार ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि संशोधित बिल के जरिए एससी/एसटी कानून को मजबूत करना और ओबीसी आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री की विरासत में है, जबकि दलित नेताओं का अपमान करना, मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध करना और ओबीसी संस्था को मजबूत बनाने में बाधा डालना कांग्रेस की परंपरा रही है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक की मुख्य बातें

प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरंभिक जांच कराने की जरूरत को समाप्त करने अथवा किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किसी अधिकारी से मंजूरी लेने और अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को बहाल करने के लिए धारा 18ए को इसमें शामिल किया गया है। अधिनियम में शामिल की गई धारा 18ए में यह कहा गया है कि :

1. पीओए अधिनियम के प्रयोजन के लिए -

क. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरंभिक जांच कराने की जरूरत नहीं होगी; अथवा

ख. किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, यदि आवश्यक हो, जांच अधिकारी को मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके खिलाफ पीओए अधिनियम के तहत कोई अपराध करने का आरोप

लगाया गया है और पीओए अधिनियम अथवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया के अलावा कोई और प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

2. किसी भी अदालत का चाहे कोई भी फैसला अथवा ऑर्डर या निर्देश हो, लेकिन संहिता की धारा 438 का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होगा।

पृष्ठभूमि

2018 की फौजदारी अपील संख्या 416 (डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20 मार्च, 2018 को अपने फैसले में पीओए अधिनियम में संशोधन करने का निर्देश दिया है और पीओए अधिनियम के प्रावधानों को हल्का कर दिया है।

माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार, संबंधित पुलिस उप-अधीक्षक द्वारा सात दिनों के भीतर आरंभिक जांच कराके यह पता लगाया जाएगा कि लगाये गये आरोपों के संबंध में पीओए अधिनियम के तहत कोई मामला बनता है या नहीं और एसएसपी से मंजूरी मिलने के बाद ही उपयुक्त मामलों में गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसी स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब होगा और पीओए अधिनियम के प्रावधान पर कड़ाई से पालन में बाधा आएगी।

सात दिनों के भीतर आरंभिक जांच कराना भी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि पुलिस उप-अधीक्षक अधिकारी आम तौर पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते है। माननीय न्यायालय के निर्देशों का एक और असर यह होगा कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब होने से अत्याचार के शिकार लोगों को स्वीकार्य राहत राशि मिलने में भी देरी होगी, क्योंकि यह केवल प्राथमिकी दर्ज होने पर ही स्वीकार्य होती है।

यह मामला अत्यंत संवेदनशील होने के कारण देश में अशांति का माहौल बन गया था। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा 02 अप्रैल, 2018 को एक समीक्षा याचिका माननीय न्यायालय में पेश कर अपने ऑर्डर को वापस लेने एवं इसकी समीक्षा करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं दी गई। ■

जीएसटी जैसे सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी: आईएमएफ

2017-18 में औसत मुद्रास्फीति 17 साल में सबसे कम

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 7 अगस्त को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी जैसे सुधारों और सरकार की हालिया नीतियों के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। आईएमएफ ने कहा कि "स्थायित्व आधारित वृहद आर्थिक नीतियां और संरचनात्मक सुधारों में जारी प्रगति देश के लिये फलदायी" होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोहरी बैलेंस शीट की समस्या को दूर करने के साथ-साथ बैंकों की ऋण देने की क्षमता में जान फूंकने और ऋण प्रावधान की दक्षता बढ़ाने के लिये वित्तीय क्षेत्र में सुधार किये गये हैं।

इसमें कहा गया है कि जीएसटी और नोटबंदी से जुड़ी दिक्कतों के कारण 2017-18 में वृद्धि दर गिरकर 6.7 प्रतिशत पर आ गयी थी, लेकिन निवेश में तेजी से इसमें सुधार आया। वित्त वर्ष 2017-18 में मुद्रास्फीति औसतन 3.6 प्रतिशत रही। यह 17 साल का निम्न स्तर है।

आईएमएफ ने कहा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की पहचान करने और सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में अहम कदम उठाये गये हैं। आईएमएफ अधिशासी बोर्ड के निदेशकों ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि का स्वागत किया तथा महत्वपूर्ण और व्यापक सुधारों के लिए भारतीय अधिकारियों की सराहना की।

रिपोर्ट के अनुसार अल्प अवधि में वृहद आर्थिक नीतियां और संरचनात्मक सुधार व्यापक रूप से भारत के पक्ष में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश में बढ़ोतरी तथा मजबूत निजी खपत के आधार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में 7.3 प्रतिशत तथा 2019-20 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान जताया गया। रुपये की विनिमय दर में गिरावट, कच्चे तेल की उच्च कीमतों, आवासीय किराया भत्ता (एचआरए) और कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ मांग स्थितियों में कमी आने से मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका जतायी गयी है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, आयात में वृद्धि और विदेश से भेजे जाने वाले धन में कमी से चालू खाता घाटा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

मुद्रा कोष ने अपनी सिफारिश में कहा कि सार्वजनिक ऋण स्तर को कम के लिये राजकोषीय मजबूती की आवश्यकता है। जीएसटी को सरल और सुव्यवस्थित करना इसमें मददगार हो सकता है। ■

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) द्वारा 6.16 लाख से ज्यादा लेन-देन

प्लेटफॉर्म पर 4.2 लाख से भी अधिक उत्पाद उपलब्ध

राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)' ने अपने प्लेटफॉर्म पर 6.16 लाख से ज्यादा लेन-देन के जरिए सकल वाणिज्यिक मूल्य (जीएमवी) के रूप में 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक अर्जित किए हैं। यही नहीं, जेम ने 1.3 लाख से ज्यादा विक्रताओं एवं सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के जरिए अपने प्लेटफॉर्म पर 4.2 लाख से भी अधिक उत्पाद उपलब्ध कराए और इन उत्पादों की खरीदारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत 25,000 से भी अधिक सरकारी संगठनों (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संगठन और पीएसयू) द्वारा की जा रही है।

गौरतलब है कि मात्रा की दृष्टि से 40 प्रतिशत से भी अधिक लेन-देन इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई के साथ किए जाते हैं और 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के क्रेता इस प्लेटफॉर्म पर खरीदारी कर रहे हैं। 24 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख खरीद पोर्टल के रूप में जेम को अपनाने के लिए जेम के साथ एक औपचारिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लेन-देन में 25 प्रतिशत की औसत बचत हुई है।

28 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 40,000 से भी अधिक खरीदारों एवं विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे इस प्लेटफॉर्म पर निर्बाध संचालन कर सकें। भुगतान एकीकरण (राज्य जेम पूल खाता-एसजीपीए, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बैंक गारंटी-ईपीबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बयाना राशि जमा- ईईएमडी) के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर नकद रहित, संपर्क रहित एवं कागज रहित भुगतान प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

एमएसएमई मंत्रालय, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और उद्योग संगठनों (भारतीय उद्योग परिसंघ-सीआईआई, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ-फिक्की, पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल,

आईआईए) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि देश भर के विभिन्न निर्माताओं एवं वेंडरों को प्रशिक्षित करने, क्षमता निर्माण एवं उन्हें जोड़ने में सहूलियत हो सके।

जेम के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों एवं सेवाओं के तहत गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ एकीकरण किया गया। 'जेम' आम उपयोग वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों एवं विभागों, केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू एवं एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों के लिए अपने-आप में एक पूर्ण एकल ऑनलाइन मार्केटप्लेस है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)' का शुभारंभ 9 अगस्त, 2016 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकार के लिए एक खुला, पारदर्शी एवं प्रभावकारी खरीद प्लेटफॉर्म सृजित करना रहा है। ■

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

संस्कृति और समाज

दीनदयाल उपाध्याय

प्रत्येक 'समाज जिस एक विशिष्ट जीवन की दृष्टि को लेकर प्राप्त होता है, जिसे प्राचीन शास्त्रों में चिति कहा है, उसके आधार पर जो-जो इस ध्येय को पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक संस्कार होते हैं, उन सब संस्कारों का एक समुच्यवाचक भावात्मक नाम यह संस्कृति है। यह भी हमने देखा कि इस प्रकार की यह संस्कृति गतिशील है। संस्कार जैसे-जैसे वर्धमान होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही यह संस्कृति वर्धमान होती जाती है।

अब हमें इसका थोड़ा सा विचार समाज और व्यक्ति के नाते से भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह संस्कृति व्यक्ति और समाज दोनों से संबंध रखती है। यद्यपि संस्कृति का भाव मूलतः समष्टिगत होता है। वह समष्टि जीवन की जो एक विशेषता होती है, व्यक्त करने का एक माध्यम रहती है। समाज जिस एक अपनी आत्मा को लेकर पैदा होता है, उस आत्मा की अभिव्यक्ति संस्कृति के रूप में होती है। किंतु समाज आख़िर व्यक्तियों का बना होता है। यद्यपि हम जानते हैं कि व्यक्तियों का बना हुआ होने के बाद भी समाज का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। समाज की अपनी एक सत्ता होती है। समाज की यह सत्ता केवल व्यक्तियों के मिलाने मात्र से ही नहीं बनती, केवल इतने मात्र से ही समाज नहीं बन जाता।

एक कल्पना करें कि अपना एक हिंदू समाज है। तीस करोड़, चालीस करोड़ जितने का भी आंकड़ा है, अभी जो संख्या बढ़ गई, उन सब लोगों को मिलाकर रख दिया, तो यह हिंदू समाज है-वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जैसे ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि जितनी भी सृष्टि है, उसके बाद भी वह दस अंगुल बचा रहता है। उसी प्रकार से अलग-अलग से जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको जोड़ा तो जोड़ने के बाद भी जो योग आएगा, समाज उससे भी कुछ आगे रहता है। परंतु यह सच है कि समाज जब अपना कोई भी काम करता है, जब वह क्रियाशील रहता है, जब अपनी किसी भी भावना को प्रकट करता है, उसे पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करता है, तो उसके लिए व्यक्तियों का ही सहारा लेता है। व्यक्तियों को यदि हटा दिया जाए तो समाज कुछ काम नहीं कर सकेगा।

जैसे यह आत्मा जब भी कुछ करना चाहती है तो शरीर के द्वारा करती है। शरीर। को हटाकर नहीं कर सकती। शरीर को चाहे फिर लोग नश्वर कहें। शरीर नश्वर है, हमेशा नहीं रहता। आत्मा सदैव रहती है। आत्मा की शक्ति अधिक होती है। शरीर की उस नाते से शक्ति नहीं है। परंतु फिर भी शरीर के द्वारा ही आत्मा काम कर सकती है। वैसे ही समाज भी व्यक्तियों के बिना काम नहीं कर सकता। व्यक्तियों के द्वारा ही समाज काम करता है और इसलिए संस्कृति का संबंध व्यक्तियों से बहुत आता है।

अब जब व्यक्ति का विचार करते हैं तो फिर यहां एक प्रश्न आता है कि व्यक्ति क्या केवल समाज के पुर्जे के समान है या उसका और भी अलग अस्तित्व है? उसे फिर देखते हैं कि व्यक्ति की अपनी एक अलग सत्ता है। वह एक ही समय पर मानो दोनों प्रकार का अस्तित्व लेकर चलता है। दोनों प्रकार का संबंध लेकर चलता है। वह व्यक्ति के नाते से भी काम करता है और समाज के नाते से भी। वह व्यक्ति के नाते भी जीवन प्रकट करता है और समाज के नाते भी। इसलिए दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक चीज़ हो गई है।

दुनिया के जितने भी समाजशास्त्री हैं, राजनीतिशास्त्री हैं एवं दार्शनिक हैं, उन सबके सामने यह बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति और समाज के बीच कौन सा संबंध रखा जाए? कहीं तो व्यक्ति को ही सर्वेसर्वा माना है और कहा है कि व्यक्ति ही सबकुछ है। बाक़ी समाज तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन मात्र है। इसलिए उन्हें व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ऐसी बात सामने रखी है। इस प्रकार से चलें तो देखेंगे कि व्यक्ति की रक्षा करने के लिए राज्य बनता है। व्यक्ति को सुविधा देने के लिए अन्य-अन्य प्रकार की संस्थाएं चलती हैं और इसलिए व्यक्ति प्रमुख है, ऐसा मानकर ही एक विचार पश्चिम में चला।

दूसरी ओर लोगों ने माना कि व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है। व्यक्ति से ज्यादा समाज की उपयोगिता है। यदि समाज ठीक रहा तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। व्यक्ति को, समाज की आवश्यकताएं किस प्रकार पूर्ण हों, यह विचार करना पड़ता है। इतना मात्र विचार करके वह चले। यही बात मशीन के लिए लागू होती है। मशीन को भी और सभी कुछ चाहिए। तभी वह ठीक प्रकार से चल सकती है। जो मोटर को चलाता है, उसे विचार करना पड़ता है कि यह दिन भर में कितने मील चलती है और उसी के हिसाब से उसे पेट्रोल के बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक इसी तरह व्यक्ति है। व्यक्ति को कितना भोजन चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, जरूरत के अनुसार मकान भी चाहिए, उसकी जरूरत के अनुसार उसकी खुराक होनी चाहिए। ऐसा विचार किया गया। इसके आगे कोई विचार नहीं किया गया। वह समाज के एक साधारण अंग के रूप में है। उन्होंने कहा कि सब व्यक्तियों को समाज के लिए ही काम करना चाहिए। समाज एक प्रमुख चीज है और बाक़ी कुछ नहीं।

इस प्रकार से दो विचारधाराएं पश्चिम में चलती आ रही हैं। एक में समाज सब कुछ है तथा दूसरी में व्यक्ति ही सबकुछ है। समाज का काम इतना ही है कि इस प्रकार का

व्यक्ति जो है, उसे अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह उपभोग करने देना चाहिए। फिर यदि वह व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करे अथवा अगर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो, तो क्या करें? इसमें तो कोई रास्ता नहीं। यह तो दुनिया में जीवन के लिए संघर्ष चलता जाता है। इस संघर्ष में हमेशा जिसके पास ज्यादा ताक़त होती है, कम ताक़त वाले को वह हजम कर लेता है। जो योग्यतम है, वह दुनिया में जिंदा रहता है और बाक़ी के लोग समाप्त होते जाते हैं। इस नियम के अनुसार योग्यतम जिंदा रहेंगे। जो योग्यतम है, वह दुनिया में जिंदा रहता है, बाक़ी के जो पिछड़े लोग हैं, यदि वे समाप्त हो जाएं तो कोई बात नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार ही सब चलते हैं।

इस प्रकार का विचार करके वे लोग चलते जा रहे हैं। हमारे यहां जिस बात का विचार किया गया, हमारी संस्कृति ने जो ध्यान रखा, वह यह कि व्यक्ति और समाज वास्तव में एक-दूसरे के साथ इतने अधिक जुड़े हैं कि हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसके बाद भी दोनों की अपनी अलग एक सत्ता रहती है। दोनों को अपना अलग-अलग स्थान रहता है। इसलिए हमें दोनों का ही विचार करके चलना पड़ेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा विचार करना पड़ेगा। व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का विचार करना पड़ेगा। उसी प्रकार समाज की जो सत्ता है, उसका भी विचार करना पड़ता है कि व्यक्ति कब अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है और कब वह व्यक्ति समाज के एक घटक के नाते, समाज के एक उपकरण के नाते काम करता है। इस तरह का विचार करके हमें दोनों में मेल बिठाना पड़ता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि जो लोग केवल एक ही बात का विचार करते हैं, वे लोग ग़लत रास्ते पर चलते हैं। जो लोग केवल व्यक्ति का विचार करते हैं, वे अंधकार को प्राप्त होते हैं और जो केवल समाज का विचार करते हैं, वे भी घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं।

इसलिए कहा गया है कि हमें दोनों का ही विचार करना चाहिए। यह विचार करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा सब प्रकार से उसका संरक्षण समाज को करना चाहिए। उसके व्यक्तित्व का संरक्षण कर उसे विकास के अवसर देने चाहिए। हम व्यक्ति को मृत्यु से बचाएं, मृत्यु को जीतें और दूसरे, समाज का विचार करके हम समष्टि के आधार पर अमरता को प्राप्त करें। एक से मृत्यु को जीतना और दूसरे से अमरता को प्राप्त करना, यानी दो-दो चीजें एक साथ रखीं तो विचार आएगा कि कैसे दोनों का एक-दूसरे के साथ विचार करें? जैसे-हम भोजन करते हैं और रोटी के संबंध में विचार करें कि रोटी से ही आदमी जिंदा रहता है। लेकिन रोटी ही सबकुछ नहीं है। रोटी के बारे में एक कवि ने कहा है कि यदि खाने से ही व्यक्ति जिंदा रहता तो भी कोई भी व्यक्ति कभी मरता ही नहीं। खानेवाला व्यक्ति तो हमेशा जिंदा रहता। खाना और जीना-इन दोनों का संबंध यदि आपस में बिठाओगे तो यदि कार्य, कारण, भाव देखा जाए तो लोग कहेंगे कि फिर खानेवाला आदमी क्यों मरता है। रोटी ही अगर जीवन है तो रोटी जब तक मिलती है, तब तक आदमी को मरना ही नहीं चाहिए। जैसे लकड़ी जलाने से आग जलती जाएगी तो उसी प्रकार उसने कहा कि यदि खाने से ही लोग जीते तो खानेवाले कभी नहीं मरते। यह तो पक्ष सामने रखा, लेकिन दूसरा भी पक्ष है कि खाना यदि नहीं खाया तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। यह भी सत्य है कि खाने से ही आदमी जिंदा रह सकता है, तो केवल इतना ही नहीं, खाते-पीते आदमी मरता है। परंतु किसी ने कहा कि खाते-पीते इतने आदमी मर गए, इसलिए मुझे इस खाने के झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा कोई कहे कि भाई, खाना है तो भी मरना ही है, इसलिए मैं तो भोजन नहीं करूंगा, उपवास रखेंगा, अगर ऐसा कोई तय कर ले तो वह जिंदा नहीं रहेगा। अर्थात् उसके कहने का भाव केवल इतना ही है कि भोजन के द्वारा जो मृत्यु तुम्हें प्राप्त हुई तो भोजन करने से तुम बच जाओगे। बिना भोजन के तुम दो-चार, दस-पांच दिन तो खिंच जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें मृत्यु ही प्राप्त होगी और नित्य-प्रतिदिन भोजन करने से मृत्यु से बच जाओगे।

लेकिन यदि तुम मृत्यु से बचने के लिए अमरता चाहो, तब दूसरा रास्ता है। फिर भोजन सहारा नहीं देगा। उसके लिए आगे का सहारा लेना पड़ेगा। यह भोजन एक हद तक ज़रूरी है, उसके आगे नहीं। उससे भी तो अमरता प्राप्त करनी है, तब इस शरीर का उपयोग कैसे करेंगे, शरीर के द्वारा अच्छे-अच्छे कर्म करेंगे इस बात का जो मनुष्य विचार करता है और उसकी ओर प्रवृत्त होता है तो वह दूसरे रास्ते पर जाता है। इसीलिए खाना व्यक्ति की दृष्टि से विचार करने योग्य है और व्यक्ति की दृष्टि से विचार किया तो उसके लिए जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु को जीतना पड़ता है। अमरता प्राप्त करने के लिए मृत्यु को जीतना पड़ता है। अमरता प्राप्त करने के लिए हमें समाधि का सहारा लेना पड़ता है। इन दोनों में मेल बिठाने की जरूरत है।

दोनों का मेल बिठाना संस्कृति का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, उसे हम कह सकते हैं कि यह प्रकृति है। प्रकृति में भिन्नता होती है। प्रकृति के नाते से व्यक्ति में भी भिन्नता होती है। प्रकृति के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमारा यह शरीर, मन, इंद्रियां-सभी कुछ प्रकृति की देन हैं। इसीलिए हम भी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। प्रकृति का अपना धर्म है, हम उसका भी पालन करते चले जाते हैं। और संपूर्ण जगत् में प्रकृति भी अपने धर्म का पालन कर रही है मनुष्य को बहुत से काम प्रकृति के द्वारा ही करने पड़ते हैं। साधारणतया ऐसा होता है कि यह प्रकृति ईश्वर की ही दी हुई चीज़ है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। मनुष्य तथा बाक़ी के जीव-जंतु बहुत से काम प्रकृति द्वारा ही करते हैं। श्वासोच्छ्वास प्रकृति है। हमें विचार भी नहीं करना पड़ता है कि वह कैसे सांस लेता चला जाता है। वह भोजन करता है, यह भोजन भी वह शायद प्रकृति के अनुसार ही करता है। वह साधारणतया मनुष्य की प्रकृति है और वह उसका पालन करता है। हमें प्रकृति का ठीक-ठीक पालन करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं होती। ■ क्रमशः...

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर)

नहीं रहे द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि

द्रमुक अध्यक्ष श्री एम. करुणानिधि का लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में निधन हो गया। श्री करुणानिधि 94 साल के थे। पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे श्री करुणानिधि काफी समय से बीमार चल रहे थे। बीते 27 जुलाई को तबियत बिगड़ने के बाद चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

श्री करुणानिधि को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी, केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्रबाबु नायडू सहित देशभर से तमाम बड़े नेताओं श्रद्धांजलि दी ।

एम. करुणानिधि का जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित था: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एम. करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा, 'के. करुणानिधि के निधन से मैं बहुत दुःखी हूं। वह देश के वरिष्ठतम नेताओं में से थे। हमने एक बड़े जनाधार वाला नेता, एक ऊर्जावान विचारक, एक निपुण लेखक तथा एक ऐसा निष्ठावान व्यक्ति खो दिया है जिसने अपना सारा जीवन गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था।'

श्री मोदी ने कहा, 'करुणानिधि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ ही देश की प्रगति के लिए भी हमेशा तत्पर रहे। वे तमिल लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित रहे और हमेशा यह कोशिश की कि तमिलनाडु की आवाज को हमेशा गंभीरता से लिया जाए।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुझे कई अवसरों पर करुणानिधि जी के साथ बात करने का मौका मिला, राजनीति की उनकी समझ और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों को महत्व दिए जाने की उनकी सोच सबसे अलग थी। वे पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए समर्पित थे। उनके द्वारा आपातकाल का कड़ा विरोध हमेशा याद किया जाएगा।'

श्री मोदी ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं करुणानिधि जी के परिवार और उनके समर्थकों के साथ है। भारत और खासकर तमिलनाडु उनकी कमी को हमेशा महसूस करेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।

एम. करुणानिधि एक उत्कृष्ट राजनेता एवं प्रतिबद्ध समाजसेवी थे: अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने शोक-संदेश में कहा कि देश के अनुभवी राजनेता एवं तमिलनाडु के पांच बार मुख्यमंत्री रहे डीएमके प्रमुख श्री एम. करुणानिधि के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। मैं उनके आकस्मिक निधन से अत्यंत दुःखी हूं। वे एक उत्कृष्ट राजनेता एवं प्रतिबद्ध समाजसेवी थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री करुणानिधि की जीवन यात्रा काफी प्रभावशाली रही है। वे पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर रहने के साथ-साथ जीवन के शुरुआती दौर में उन्होंने कई किताबें, उपन्यास, नाटकों और तमिल फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे। 1975 में देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान उनके संघर्ष को कोई भी नहीं भूल सकता।

श्री शाह ने कहा कि श्री करुणानिधि अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले एक जुझारू नेता के रूप में सदैव याद किये जायेंगें। उनके निधन से तमिलनाडु में राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में मैं ईश्वर से श्री करुणानिधि जी के परिवार एवं उनके अनुयायियों को इस असीम कष्ट को सहन करने की शक्ति, साहस और धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ■

'दलित समुदाय में फिर से सुरक्षा और विश्वास पैदा हुआ'

भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं सैकड़ों सदस्यों ने 2 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद दिया एवं पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में भाजपा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह से मिलकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री बिनोद सोनकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विवेक सोनकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रमेशचंद रत्न, राष्ट्रीय मंत्री संजय निर्मल, राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार फुलवारिया, कार्यालय मंत्री वीर सिंह मथुरिया, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य श्री रामचंद्र गुजराती एवं राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य श्री अनिल सूद सहित एससी मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

पूर्व का एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम विधेयक काफी कमजोर था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत बनाने का कार्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस के लोगों ने देश भर में यह भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार करने की कोशिश की कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम विधेयक को कमजोर करने का काम भाजपा सरकार की वजह से हुआ है, जबकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल एसएलपी फ़ाइल की थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक नहीं, अनेकों बार, अनेकों मंचों से स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 2015 में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाये गए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक को बिना किसी कॉमा या फुलस्टॉप के लागू किया जाएगा। इसी वचनबद्धता को दुहराते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट ने फिर से विधेयक को पास कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर देशभर के अनुसूचित समाज के लोगों में उत्साह है और पूरा अनुसूचित समाज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अडिग रूप से खड़ा है। जो कांग्रेस हमेशा से अनुसूचित समाज के लोगों का वोट बैंक के रूप में उपयोग करती रही, उन्हें एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है।

डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठक संपन्न

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा की एक दिवसीय बैठक 15 जनपथ डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 6 अगस्त को संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री विनोद सोनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा एवं सांसद ने की और मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल थे। इसके अतिरिक्त श्री दुष्यन्त कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, श्री भूपेन्द्र यादव, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, केंद्रीय मंत्रीगण श्री थावर चन्द गहलोत, श्रीमती कृष्णाराज, श्री विजय सांपला, श्री अजय टम्टा की गरिमामय उपस्थित रही।

श्री विनोद सोनकर ने सर्वप्रथम पार्टी नेतृत्व एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि देश के दलित समुदाय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए एक फैसले के कारण उत्पन्न असुरक्षा ओर भय के वातावरण में अध्यादेश एवं आज लोक सभा में विधेयक पेश कर सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया चालू कर दलित समुदाय में फिर से सुरक्षा और विश्वास पैदा किया है। इसके लिये भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा-नीत सरकार का आभार व्यक्त करता है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा किये गए प्रयासों पर संतोष व्यस्त किया और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने मोर्चा को जिम्मेदारी दी कि अन्य राजनैतिक दलों द्वारा दलित समाज में फैलाये जा रहे दुष्प्रचार को समाप्त करने के लिये भाजपा की केंद्र और राज्य शाषित प्रदेशों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समाज में पहुचाने और लाभ दिलवाने का काम करें ओर दलित समाज को भाजपा के साथ जोड़ें।

उन्होंने कहा जब भी देश में भाजपा की सरकार आई है, हमने दलित हितों को सर्वोच्च स्थान देकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है चाहे वो बाबा साहब की जन्मस्थली, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि का विषय हो या परिनिर्वाण स्थल की बात हो। यहां का सभागार भी इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब ओर दलितों के सम्मान को ध्यान में रख कर ही भाजपा ने हमेशा काम किया है और आगे भी इसी तरह करती करेगी। ■

'कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती है'

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 1 अगस्त को भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन अर्थात् एनआरसी के मुद्दे पर घुसपैठियों का बचाव करने को लेकर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों पर जम कर प्रहार किया।

श्री जावडेकर ने कहा कि आज राज्य सभा में कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि आज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के ज्वलंत मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान आदरणीय सभापति महोदय जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को अपना वक्तव्य पूरा करने के लिए बुलाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एवं उनकी अन्य सहयोगी पार्टियों के सदस्यों ने जानबूझ कर व्यवधान पैदा किया और श्री अमित शाह को अपना वक्तव्य बीच में ही रोकना पड़ा।

श्री जावडेकर ने आज राज्य सभा में हुई कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा कि आज जैसे ही श्री अमित शाह अपने भाषण को पूरा करने खड़े हुए तो पहले कांग्रेस पार्टी के आनंद शर्मा ने आपत्ति जताई कि श्री अमित शाह ने कल 1985 के बाद हुए सभी प्रधानमंत्रियों में एनआरसी को लागू करने की हिम्मत न होने की बात की थी जो सर्वथा गलत है। श्री जावडेकर ने कहा कि आनंद शर्मा का आरोप बिलकुल गलत, तथ्य से परे और दुर्भावना से ग्रस्त था, क्योंकि श्री अमित शाह ने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि श्री अमित शाह ने तो कल राज्य सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा था कि "14 अगस्त 1985 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने असम एकॉर्ड साइन किया। 15 अगस्त के भाषण में लाल किले से इसको डिक्लेयर किया। असम एकॉर्ड की आत्मा क्या थी? असम एकॉर्ड की आत्मा ही 'एनआरसी' थी और एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में यह कहा गया कि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उसको हमारे सिटिजन रजिस्टर से अलग"। (इस पर तुरंत कांग्रेस एंड कंपनी द्वारा व्यवधान पैदा किया गया)। श्री शाह ने आगे कहा कि एक शुद्ध नेशनल सिटिजन रजिस्टर बनाना है, यही "एनआरसी" का मतलब था। हम ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जो आपके प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री का लिया हुआ इनिशिएटिव था, इसको अमल करने की हिम्मत आपमें नहीं थी, हममें हिम्मत है। श्री जावडेकर ने कहा कि इसमें श्री अमित शाह ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि असम एकॉर्ड को लागू करने की हिम्मत 1985 के बाद के किसी भी प्रधानमंत्री में नहीं था। उन्होंने कहा कि जब श्री अमित शाह का यह बयान रिकॉर्ड में मौजूद था, आनंद शर्मा जी को भी मालूम था कि उनका व्यवधान अनुचित है, फिर भी जानबूझ कर कांग्रेस पार्टी ने सदन में व्यवधान उत्पन्न किया। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने सवाल उठाया कि एक सदस्य दो बार नहीं बोल सकते तो आदरणीय सभापति जी ने कहा कि कल उनका वक्तव्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें बोलने की अनुमत दी गई है। इसके बाद फिर कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने जानबूझ कर सदन की कार्यवाही को बाधित करने की नापाक हरकत की, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं।

श्री जावडेकर ने कहा कि सदन में बिना किसी कारण के हंगामा करना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को बोलने नहीं देना और माननीय गृहमंत्री जी को नहीं सुनना, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पहले ही तय करके आई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, दोनों पार्टियां सदन को नहीं चलने देना चाहती थी, क्योंकि वे सच सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि कल अलग-अलग पार्टियों के कम-से-कम 20 सदस्यों को हमने पूरी शांति और गंभीरता के साथ सुना लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बोलने की बारी आई, तो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अनुचित व्यवधान पैदा क्या और यही लोकतंत्र की हत्या है।

श्री जावडेकर ने कहा कि आदरणीय सभापति महोदय जी ने भी कहा कि इसके पीछे साजिश लगती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को क्या भय है, वे चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं, वे क्यों जवाब सुनना नहीं चाहते और वे किसको बचाना चाहते हैं?

उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 'एनआरसी' के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों की वोटबैंक एवं तुष्टीकरण की राजनीति को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि असम एकॉर्ड की आत्मा एनआरसी है, यही एक तरीका है जो घुसपैठियों की पहचान कर सकता है और अब कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती है।

श्री जावडेकर ने कहा कि मीडिया से यह पता चला है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी से मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी की एनआरसी पर भूमिका तो सबको मालूम है कि वे घुसपैठियों के पक्ष में हैं, एनआरसी के विरोध में हैं, देश की सुरक्षा से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है, अपने देश के नागरिकों के हित की चिंता उन्हें नहीं है, लेकिन हम सोनिया गांधी जी से पूछना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि वे स्पष्ट करें कि 'एनआरसी' और 'घुसपैठ' पर आपका स्टैंड क्या है?

श्री जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस को 'एनआरसी' और भारत में होने वाले घुसपैठ पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि 'असम एकॉर्ड' स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने किया था और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि बांग्लादेश की हालत ठीक होने पर वहां से आये हुए लोगों को वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेशियों के वापस जाने की बात इंदिरा जी ने की थी, अगर राजीव जी ने 'असम एकॉर्ड' के तहत 'एनआरसी' की, रचना की तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि अब उनका क्या स्टैंड है? क्या अब उनका स्टैंड राजीव जी और इंदिरा गांधी जी के स्टैंड से बदल गया है।

श्री जावडेकर ने कहा कि पूर्वाग्रह के कारण कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक साजिश के तहत सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध कर रही है, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी जी एक संवेदनशील मुद्दे को क्षुद्र राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहती है। ■

कारगिल युद्ध में भारत की शानदार जीत के महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि

"विजय दिवस" के उपलक्ष्य में कारगिल युद्ध में भारत की शानदार जीत के महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी एक्स-सर्विस मेन सेल द्वारा पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया एवं सेना के वीर शहीद जवानों के कृतित्व को याद किया गया। इस कार्यक्रम में सेना के कई अवकाश-प्राप्त अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं उपस्थित थे।

कारगिल दिवस के मौके पर आज पूरे देश में विजय दिवस के वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। पाकिस्तान को धूल चटाकर आज ही एक दिन भारतीय जवानों ने कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस मौके पर देश के लिए अपनी जान देने वाले अमर जवानों को नमन करते हुए ट्वीट किया, "आज कारगिल विजय दिवस पर देश उन वीरों को नमन करता है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारे सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये सुनिश्चित किया था कि कोई भी दुश्मन हमारे वतन में शांति के माहौल को खराब न कर पाए।" प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन विजय के दौरान अटल जी द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट राजनीतिक नेतृत्व को भारत हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन किया और विश्व स्तर पर भारत का रूख स्पष्ट किया।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हुए सेना के वीर जांबाजों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, "कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों ने सिर्फ अपने अदम्य साहस और वीरता से दुश्मनों को धूल चटाई, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य का लोहा भी मनवाया। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों को फतह कर मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले मां भारती के सभी सपूतों को नमन।"

भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के विदेश राज्य मंत्री एवं पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी. के. सिंह, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर एवं केन्द्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित थे। राष्ट्र के गौरव और देश की आन-बान और शान के लिए खुद को समर्पित कर देने वाले युवाओं का एक बड़ा वर्ग भी समारोह में उपस्थित था। श्रद्धांजलि-सभा को संबोधित करते हुए श्री वी. के. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार भारतीय सेना के शौर्य और गौरव का सदैव सम्मान करती आई है और हर कदम पर देश की सेना के साथ खड़ी है।

कार्यक्रम में कारगिल के युद्ध में सेना की उपलब्धियों के साथ-साथ सेना के उन वीर जवानों और अधिकारियों के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया जो युद्ध में दुश्मन को मात देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस दौरान वीर जवानों की शहादत से प्रेरणा लेते हुए उनके पदचिह्नों पर चलने का प्रण भी किया गया। ■

कार्यकर्ता ही हमारे दल का बल है: मुरलीधर राव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव अपने प्रखर सांगठनिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं। उनके पास तमिलनाडु और कर्नाटक प्रदेश भाजपा प्रभारी का भी दायित्व है। इसके साथ-साथ वे भाजपा प्रशिक्षण समिति का कार्य भी देख रहे हैं। इन दिनों व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण अभियान का काम चल रहा है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में श्री मुरलीधर राव से कमल संदेश के सहायक संपादक **संजीव कुमार सिन्हा** ने प्रशिक्षण अभियान, संगठनात्मक विषयों एवं समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की। श्री राव का कहना है कि हमें प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए जन-जन तक पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रस्तुत है बातचीत के संपादित अंश -

भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को लेकर अभियान चला रही है। इसके बारे में हमें बताएं।

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाते, विशेषकर 2014 से, व्यापक जन-समर्थन को व्यापक जन-संगठन में बदलने का काम प्रशिक्षण के माध्यम से कर रही है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, अलग-अलग श्रेणियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना, अलग-अलग जिम्मेवारियों के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, इतने व्यापक पैमाने पर यह कार्य हमने किया है। कुल मिलाकर लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षित किया है, जो विश्व के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।

अब एक नयी परिस्थिति है कि 2019 में चुनाव है। कार्यकर्ता ही हमारे दल का बल है। इसलिए इन प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को अब आने वाले चुनाव में जनता के साथ संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य करना है। जन-समीकरण, जन-संवाद और कुल मिलाकर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना और वहां स्थानीय समस्याओं को इकट्ठा करना, ऐसे सब कामों के बारे में हमने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया है। इसी प्रकार जन-संवाद में मीडिया के अलावा नया मीडिया जो आया है, उस नए मीडिया के बारे में भी विशेष और विस्तृत प्रशिक्षण देने का काम हम कर रहे हैं।

दूसरी ओर, सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी अलग-अलग वर्गों के पास उनसे संबंधित विषयों को पहुंचाना, इसके लिए हम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, जिन्हें चुनाव में लगना है, उनके लिए भी एक बहुत बड़े प्रशिक्षण की तैयारी हम कर रहे हैं।

देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन ये पार्टियां कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को लेकर अभियान नहीं चलाती। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर इतना जोर क्यों देती है?

देखिए, दूसरी पार्टी मूलतः संगठन और कार्यकर्ता को आधार नहीं मानती है। ऐसी स्थिति में वह एक वैकल्पिक आधार पर काम करती है। समाज में जो जाति और जाति-समूह उपलब्ध हैं, इनके बीच जो संवाद और संगठन हैं, उसके माध्यम से ये लाभ लेना चाहते हैं, ये शॉटकर्ट करते हैं, तो ऐसे में इनका भले कुछ भला हो जाए लेकिन ये जातिवाद से ऊपर उठ नहीं पाते। ये पार्टियां कहने के लिए कहती हैं कि ये सबकी हैं, लेकिन व्यवहार में ये एक जाति-समूह की पार्टी होती हैं।

अब उसी प्रकार, देश भर में कांग्रेस की देखा-देखी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अधिकांश पार्टियां इस देश में परिवार की पार्टियां बन चुकी हैं। इन पार्टियों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण, कार्यकर्ता

विकास, संगठन सशक्तिकरण, संगठन अंतर्गत संवाद, संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, संगठन के नियमित समय पर चुनाव होना, ये सब बातें उनके लिए महत्वहीन और अप्रासांगिक हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसी पार्टियों के लिए नए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के आधार पर कार्यकर्ता को कोई जिम्मेवारी देना, ये उनके लिए मिथ्या हैं।

आप कर्नाटक और तमिलनाडु प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं। तमिलनाडु कुछ ही ऐसे राज्यों में हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं बनी है। ऐसे में इस राज्य में संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी क्या कर रही है?

गत पांच-सात वर्षों में तमिलनाडु में संगठन की शक्ति बहुत बढ़ गई है। हम लगातार प्रगति पर हैं। इस राज्य में पहले जयललिताजी और अब करुणानिधिजी के निधन हो जाने के कारण एक रिक्तता आई हुई है, वहीं नरेन्द्र मोदीजी के प्रति आकर्षण है। लोगों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का मन भी है। यहां जिस प्रकार की सरकारें रही हैं, इनसे लोग त्रस्त रहे हैं। विशेष रूप से भ्रष्टाचार के कारण। स्थानीय प्रशासन सब भ्रष्ट हो गया है। विकास बिल्कुल अलग-थलग हो गया है। ऐसे हालात में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सशक्त रहेगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि राज्य में एक अच्छे गठबंधन की तैयारी भी करेंगे। एक ही बार में हम अपने दम पर लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। गठबंधन के आधार पर भी पार्टी को आगे ले जाएंगे। गठबंधन में कौन-कौन होंगे ये हम अक्टूबर में तय करेंगे।

हाल ही में कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। इस सरकार के काम-काज पर आपकी क्या राय है?

देखिए, 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 37 सदस्य वालों की सरकार है। नैतिक दृष्टि से भी और व्यावहारिक दृष्टि से भी यह सरकार चलने वाली नहीं है। अभी जो कुछ चल रहा है वह ब्लैकमेल, शोषण और लेन-देन, इन सबके आधार पर चल रहा है। राज्य में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सिद्धांततः स्थिर सरकार चलाना संभव नहीं है।

कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करने का फैसला करते हुए अकेले चुनाव लड़ना तय किया है। इसे आप किस रूप में देखते हैं?

कुल मिलाकर जनता दल (एस) राज्य में अपना जनाधार बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यह सरकार में हैं तो इसका फायदा उठाकर वह खुद की शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानीय निकाय पर कब्जा करना चाहती है।

इन दिनों एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण) का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में इसका अंतिम ड्राफ्ट जारी हुआ, जिसमें असम के 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की देख-रेख में की जा रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, फिर भी विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप?

देखिए, यह पूर्णतः संवैधानिक विषय है। 1951 से इसकी चर्चा हुई है। 1985 की इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यहां घुसपैठ हुई है। बाकी सब चीजों में माइग्रेशन हुआ है तो यह सब कुछ देखने के बाद एक बात हमें समझनी चाहिए कि यह केवल असम का मामला नहीं है। मुद्दा नागरिकता नहीं है। असम की पहचान क्या है? असम की पहचान असमिया हैं या गैर-असमिया? न्यायिक दृष्टि से जिनका कोई असम से संबंध नहीं है वो लोग असम की पहचान बदल रहे हैं, तो इसको लेकर स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों में नाराजगी होगी।

कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच प्रतिस्पर्धा है कि किसको वोट मिलेगा बंगलादेशी मुसलमानों का। इसलिए बंगलादेशी घुसपैठियों का वोट ये अभी एक विषय है। यह अपने आप में न केवल गैर-संवैधानिक है, अपितु यह देश के खिलाफ भी है। इसलिए इस मुद्दे पर हमें लड़ना होगा। यदि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का व्यवहार करेगी, तो न केवल असम बल्कि पूरे देश की जनता इसको नकारेगी और मुझे लगता है कि ऐसा होकर रहेगा।

बंगलादेश से अंधाधुंध लोग आ रहे हैं और इसके चलते कई जिलों में जन-अनुपात बदला है। इसके कारण वे अपने आपको बहुत असुरक्षित अनुभव करते हैं। उनकी पहचान खतरे में है, वे ऐसा महसूस करते हैं। इसको लेकर लंबा आंदोलन चला और 1985 में केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के माध्यम से 'असम समझौता' हुआ था।

आज कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच प्रतिस्पर्धा है कि किसको वोट मिलेगा बंगलादेशी मुसलमानों का। इसलिए बंगलादेशी घुसपैठियों का वोट ये अभी एक विषय है। यह अपने आप में न केवल गैर-संवैधानिक है, अपितु यह देश के खिलाफ भी है। इसलिए इस मुद्दे पर हमें लड़ना होगा। यदि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का व्यवहार करेगी, तो न केवल असम बल्कि पूरे देश की जनता इसको नकारेगी और मुझे लगता है कि ऐसा होकर रहेगा। ■

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

समतामूलक समाज की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम

भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने 7 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हार्दिक बधाई दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समतामूलक समाज की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम है।

प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए लोकसभा में अपने पहले भाषण में कहा था, "हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शो से पले हुए लोग है, जिन्होंने हमें अन्त्योदय की शिक्षा दी थी। गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें। शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इन्सान के लिए काम आए, उस दिशा में प्रयास होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे।

कांग्रेस ने पिछली बार भी लोक सभा बिल पास होने के बाद जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए राज्य सभा से इस बिल को पास नहीं होने दिया। यह भी संयोग की बात नहीं है, बल्कि तथ्य है कि जब भी इस देश में गरीब और पिछड़े समाज की भलाई के लिए कोई बड़ा कदम उठाया गया तो उस समय कांग्रेस के सत्ता में नहीं थी।

समतामूलक समाज निर्माण का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता रही है और भाजपा सरकार ने इस फैसले से उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह बिल पारित होने के बाद पिछले वर्ग आयोग को अब संवैधानिक आयोग का दर्जा मिलेगा। अब यह आयोग पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नति से संबंधित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा। यह आयोग संविधान के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 16-4 एवं 15-4 के निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को सशक्त करते हुए उनको न्याय देगा।

भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संस्थानों से आवाहन कराती है कि नए भारत के संकल्पना में समाज के सभी वर्गों के लिए सम्मानपूर्वक, गरिमापूर्वक सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए उठाये गए इस कदम को दूरस्थ क्षेत्रों के गरीब एवं पिछड़े वर्ग तक पहुंचायें।

भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पिछड़े वर्ग के लिए दिए गए इस संवैधानिक अधिकार के लिए हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत करती है।

'पिछड़ा वर्ग के हितों में ऐतिहासिक कदम'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 अगस्त को राज्य सभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को हार्दिक बधाई दी। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जब भी इस देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग समाज के उत्थान एवं उनके स्वाभिमान का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी सरकार का यह कार्य हमेशा स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, क्योंकि इन्हीं संकल्पों के साथ मोदी सरकार अहर्निश सेवारत है।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में जब कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 संसद में पारित

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 राज्यसभा में 6 अगस्त को पारित हो गया। राज्यसभा ने इस विधेयक को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित किया। गौरतलब है कि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

दरअसल, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने राज्य सभा में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 और लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों को पेश किया। इस संशोधन विधेयक से लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यह विधेयक राज्यसभा द्वारा 31, जुलाई, 2017 को अपनी बैठक में एक संशोधन (धारा-3 के बिना) के साथ पारित किया गया था और इसे लोकसभा में उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। लोकसभा ने 2 अगस्त, 2018 को अपनी बैठक में वैकल्पिक संशोधनों और आगे के संशोधनों के साथ विधेयक को पारित कर दिया था।

के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर देश की महान जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सम्पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए आजाद भारत की पहली पूर्ण बहुमत की गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई और जब श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने की बात पर गहन चिंतन और इनिशिएटिव लेना शुरू हुआ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गत साल भी हम ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने देने वाला विधेयक लेकर आये थे, लेकिन राज्य सभा में हमारा बहुमत नहीं होने के कारण विधेयक को कांग्रेस पार्टी ने पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम पुनः इस विधेयक को लेकर सदन में आये और मुझे आनंद है कि पहले लोक सभा और आज राज्य सभा में सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के साथ ही देश के पिछड़ा वर्ग समाज के उन्नयन के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि अब देश के पिछड़े वर्ग समाज के लोगों की कई समस्याओं का समाधान ओबीसी कमीशन के संवैधानिक फोरम से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि देश के दूर-सुदूर गांवों में बसने वाले पिछड़ा वर्ग समाज के नागरिकों को अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने रोजगार में, शिक्षा में एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में आने वाले सवालों का समाधान इस संवैधानिक आयोग के माध्यम से हो सकेगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और गांव, गरीब, किसान के उत्थान के लिए कई सारी योजनाओं का सूत्रपात कर उनके जीवन में नया उजाला लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज इस विधेयक के पारित होने के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर उनका सम्मान करने का कार्य किया है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार की हर योजना और हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब ही हैं। उन्होंने कहा कि अंत्योदय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है और समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना उनका उद्देश्य। उन्होंने कहा कि विगत चार वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने इसे अक्षरशः सिद्ध करके दिखाया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1955 से देश का पिछड़ा वर्ग समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की मांग कर रहे थे, इसकी आस लगाए हुए बैठे थे, आज यह ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2018 में संपन्न किया है, इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं। ■

99 सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एमओए पर हस्ताक्षर

दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के जरिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत आने वाली प्राथमिकता प्राप्त 99 सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्रीय हिस्सेदारी के वित्त पोषण के लिए 6 अगस्त को भारत सरकार (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के जरिए) नाबार्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के बीच एक संशोधित समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए।

उपर्युक्त एमओए पर हस्ताक्षर हो जाने से समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आने वाली प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करना इस मंत्रालय के लिए संभव हो जाएगा। वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमकेएसवाई का शुभारंभ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में कृषि से जुड़े सभी खेतों तक सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों की पहुंच सुनिश्चित करना और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित समृद्धि आएगी। पीएमकेएसवाई के तहत दिसंबर, 2019 तक मिशन मोड में पूरा करने के लिए 99 मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31,342 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 77,595 करोड़ रुपये (परियोजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए 48,546 करोड़ रुपये और कमांड क्षेत्र विकास से जुड़े कार्यों के लिए 29,049 करोड़ रुपये) की कुल धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है।

इसके बाद एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर 6 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए। एलटीआईएफ के जरिए इन 99 सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सहायता के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के जरिए) नाबार्ड और एनडब्ल्यूडीए के बीच इस एमओए पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एलटीआईएफ से 7863.60 करोड़ रुपये का कुल ऋण लिया गया है। अब वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एलटीआईएफ के तहत इन 99 परियोजनाओं के वित्त पोषण से जुड़ी मौजूदा विशेष व्यवस्था में संशोधन किए हैं। ये संशोधन धनराशि के स्रोत, बांडों पर कूपन के भुगतान से जुड़ी देनदारी, ऋणों के पुनर्भुगतान के पैटर्न, ऋण पर ब्याज दर इत्यादि के संदर्भ में किए गए हैं, जिसके कारण पूर्व में हस्ताक्षरित एमओए में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है। ■

किसानों का भविष्य संवारने की कोशिश

एम एस स्वामीनाथन

देश में पहली बार राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वाजपेयी सरकार के समय तत्कालीन कृषि मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। बाद में कृषि मंत्री बने शरद पवार ने मुझे किसान आयोग का अध्यक्ष बनने का न्योता दिया। इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें न केवल कृषि की प्रगति, बल्कि किसान परिवारों के आर्थिक कल्याण के लिए सुझाव भी दिए गए। इस आयोग ने किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति भी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इनमें प्रमुख हैं :

-किसानों के लिए न्यूनतम शुद्ध आय सुनिश्चित करते हुए उनकी आय में वृद्धि को कृषि की प्रगति का मापदंड बनाना। भूमि सुधार के अधूरे एजेंडे को पूरा करना और संपत्ति एवं कृषि सुधार शुरू करना। किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और सहायता सेवाएं विकसित करना और उनकी शुरुआत करना। भूमि, जल, जैव विविधता और जलवायु संसाधन का संरक्षण करना।

-ग्रामीण भारत में समुदाय-आधारित खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था को विकसित करना और प्रत्येक शिशु, महिला और पुरुष के स्तर पर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसे उपाय करना जिनसे कृषि को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाते हुए युवा खेती के लिए प्रेरित हों।

-कृषि पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को पुनर्गठित करना, ताकि प्रत्येक कृषि और गृह विज्ञान स्नातक उद्यमी बनने के योग्य हो सके। जैव-तकनीकी एवं सूचना-संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के लिए भारत को एक वैश्विक आउटसोर्सिंग हब बनाना।

किसान आयोग की रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की गई, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के कार्यग्रहण करने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले चार वर्षों के दौरान, किसानों की स्थिति और आमदनी में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि...

-कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करना, ताकि कृषि की प्रगति के उपाय के तौर पर कृषक कल्याण के महत्व पर जोर हो।

-सभी किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड जारी करना जिससे संतुलित पोषण अपनाने को बढ़ावा मिल सके। मिट्टी का स्वास्थ्य (उर्वरता) पौधे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और पौधे का स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से लघु-सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बजटीय एवं गैर-बजटीय संसाधनों का आवंटन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से स्वदेशी नस्ल की पशुओं का संरक्षण। प्रधानमंत्री ने पहले इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन एग्रो-बायोडाइवर्सिटी का भी शुभारंभ किया। इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से ऑनलाइन टेड को बढ़ावा देना, जो विभिन्न कृषि बाजारों को एक साथ लाने में मदद करता है। ग्रामीण कृषि बाजारों के निर्माण से उपभोक्ताओं को खुदरा और थोक दोनों रूप में सीधी बिक्री का अवसर प्राप्त होगा।

-कृषि क्षेत्र को बढ़े हुए संस्थागत ऋण के लिए कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन अधिनियम, 2018 पेश करना। किसान आयोग की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। एमएसपी पर और ज्यादा फसलों की खरीद को सुनिश्चित करना।

-सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील आदि सहित कल्याणकारी कार्यक्रमों में प्रोटीन से भरपूर दालों और पौष्टिक बाजरे को शामिल करना।

-कृषक परिवारों के लिए अतिरिक्त रोजगार और आय जुटाने के लिए मुधमक्खी-पालन मशरूम की खेती, बांस उत्पादन, कृषि-वानिकी, वर्मी-कम्पोस्ट और कृषि-प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों के जरिये किसानों की आय बढ़ाना। चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, डेयरी कॉओपरेटिव के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्यपालन को बढ़ाने के लिए कई कॉर्पस फंड तैयार करना।

किसान आयोग की सिफारिश के आधार पर ही सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य की हाल की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खरीफ की अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का कम से कम 150 प्रतिशत होगा। यदि उन सभी योजनाओं को जिनकी प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पना की गई है, प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाता है तो इससे कृषि और किसानों का भविष्य इस तरह से बनाया जा सकेगा जिससे भारत खाद्य और पोषण सुरक्षा, दोनों में अग्रणी बन सकेगा। किसानों की बड़ी मांगों में कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर अमल है। इन दोनों पर समुचित ध्यान देने के साथ ही उचित कार्रवाई भी की जा रही है। यदि कृषि के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और राज्य मिलकर सही तरह अमल करते हैं, तो किसानों की संपन्नता के साथ कृषि का विकास सुनिश्चित हो सकता है। ■

साभार: दैनिक जागरण

(लेखक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं)

राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण
संप्रभुता बनाम वोट-बैंक

अरुण जेटली

संप्रभु राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं- उनका क्षेत्र और उसके नागरिक। किसी भी सरकार का मुख्य कर्तव्य देश की सीमाओं की रक्षा करना, किसी भी अपराध को रोकने और अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाना है। जम्मू-कश्मीर में संप्रभुता की रक्षा स्वतंत्र भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती रही है। भारत की स्वतंत्रता और फिर विभाजन के समय, असम राज्य पाकिस्तान के लिए भी एक गंभीर मुद्दा था। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर की तरह, असम भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक 'मिथ ऑफ़ इंडिपेंडेंस' में लिखा थाः

"यह बात गलत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कश्मीर ही एकमात्र मुद्दा है, जो उनको विभाजित करता है, लेकिन निस्संदेह यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर है। कश्मीर विवाद के साथ साथ असम और पूर्वी पाकिस्तान से लगते जिले भी महत्व रखते हैं। इन इलाकों पर भी पाकिस्तानों अपनी दावेदारी करता है।"

इसी प्रकार वर्ष 1971 से पहले, पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पुस्तक 'पूर्वी पाकिस्तान, इट्स पॉप्युलेशन एंड एकोमोनिक्स' में लिखा थाः

"क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है और असम में प्रचुर मात्रा में वन और खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हैं, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में असम को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रांत को भी वित्तीय और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके।"

आजादी के बाद से ही भारत में पूर्वी पाकिस्तान से अवैध लोगों का आना जारी रहा। वहीं जातीय और भाषाई समानता एवं धार्मिक समानता के कारण, इन लोगों का असम में आश्रय ढूंढना भी आसान हुआ।

भारत के नागरिक कौन हैं?

भारत की नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। इन प्रावधानों को पूरा नहीं करने वाले व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। नागरिकता से संबंधित कानून केवल उन लोगों को ही भारतीय नागरिक मानता है जो जन्म से, पंजीकरण से, वंश और प्राकृतिककरण से भारत में रहने की शर्तों को पूरा करते हों। धारा 6 (ए) नागरिकता के विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें '1985 असम समझौते' के तहत नागरिकता का उल्लेख मिलता है।

अवैध घुसपैठ के परिणाम

बीस साल पहले, 6 मई, 1997 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्ता ने संसद को बताया कि भारत में रहने वाले 10 मिलियन से अधिक लोग घुसपैठ कर यहां पहुंचे थे, जिनमें से 5.4 मिलियन पश्चिम बंगाल और 4 मिलियन असम में रह रहे थे। यहां कहने की जरूरत नहीं है कि इस आंकड़े में इजाफा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2005) के मामले में विश्लेषण करते हुए पायाः

'बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ के खतरनाक परिणाम असम के लोगों और भारत को भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसा करने के तरीके में धर्मनिरपेक्षता की किसी भी गलत धारणाओं को आड़े नहीं आने दिया जा सकता। बांग्लादेश से घुसपैठ ने असम के मूल निवासियों को ही राज्य में अल्पसंख्यक बना दिया है। इसके चलते उनका सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में है, उनका राजनीतिक

भारत की नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। इन प्रावधानों को पूरा नहीं करने वाले व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। नागरिकता से संबंधित कानून केवल उन लोगों को ही भारतीय नागरिक मानता है जो जन्म से, पंजीकरण से, वंश और प्राकृतिककरण से भारत में रहने की शर्तों को पूरा करते हों। धारा 6 (ए) नागरिकता के विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें '1985 असम समझौते' के तहत नागरिकता का उल्लेख मिलता है।

नियंत्रण कमजोर हुआ है और उनके रोजगार के अवसरों को सीमित कर दिया है। असम में इस भयानक जनसांख्यिकीय आक्रमण के कारण निचले असम के जिलों को नुकसान हो सकता है। इस घुसपैठ के कारण असम के ये जिले एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब इन जिलों का विलय बांग्लादेश में करने की मांग उठने लगे। अंतरराष्ट्रीय इस्लामी कट्टरतावादी सोच इस मांग को बल प्रदान कर सकती है। इस संदर्भ में यह बताना बेहद उचित होगा कि बांग्लादेश पहले ही धर्मनिरपेक्षता को त्याग कर इस्लामी राज्य बनने का फैसला ले चुका है। इस क्रम में निचले असम का नुकसान भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती पेश करेगा। साथ ही, उस क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन का नुकसान पूरे राष्ट्र का नुकसान होगा।"

असम में इस भयानक जनसांख्यिकीय आक्रमण के कारण निचले असम के जिलों को नुकसान हो सकता है। इस घुसपैठ के कारण असम के ये जिले एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब इन जिलों का विलय बांग्लादेश में करने की मांग उठने लगे। अंतरराष्ट्रीय इस्लामी कट्टरतावादी सोच इस मांग को बल प्रदान कर सकती है। इस संदर्भ में यह बताना बेहद उचित होगा कि बांग्लादेश पहले ही धर्मनिरपेक्षता को त्याग कर इस्लामी राज्य बनने का फैसला ले चुका है।

इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दो समझौते

साल 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद, भारतीय और बांग्लादेशी प्रधानमंत्रियों के मध्य फरवरी, 1972 को एक समझौता हुआ। इसके बाद 30 सितंबर, 1972 को भारत सरकार ने अपने आदेश में कहा कि जो बांग्लादेशी नागरिक 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में दखिल हो चुके है उनके विषय में पता लगाया जाएगा, लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद भारत में प्रवेश करते हैं उन्हें वापस उनके वतन भेज दिया जाएगा। इंदिरा गांधी की भारत और उसके नागरिकों के प्रति यही प्रतिबद्धता थी।

वही राजीव गांधी सरकार ने असम समझौते पर 15 अगस्त 1984 को हस्ताक्षर किए, जिसमें तीन श्रेणियों का जिक्र है। इसके मुताबिक साल 1.1.1966 से पहले भारत में आने वाले लोगों का नाम भारत की मतदाता सूची में बना रहेगा और उन्हें नियमित किया जाएगा। वही ऐसे विदेशी नागरिक जो 1.1.1966 से 24.3.1971 के मध्य भारत में दाखिल हुए उनका निबटारा विदेशी अधिनियम और विदेशी ट्रिब्यूनल 1964 के आदेश में दिए गए प्रावधानों के तहत होगा। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के संबंध में पता चलाता है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और उस व्यक्ति को अपना पंजीकरण विदेशी नागरिक के रूप कराना होगा। वही ऐसे व्यक्ति जो 25.3.1971 को या उसके बाद भारत में दाखिल हुए है, उनके खिलाफ कानून कानूनी कार्रवाई की जाएगी। "ऐसे लोगों को निष्कासित करने के लिए तत्काल और व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।"

इस प्रकार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेसी सरकारों ने 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आने वाले घुसपैठियों की पहचान करने और उनको उनके मुल्क वापिस भेजने की प्रतिबद्ध को देश के समक्ष रखा।

विदेश अधिनियम कानून के तहत नागरिकता का दावा करने वाला व्यक्ति ही इस संबंध में साक्ष्य पेश कर सकता है। ऐसे में गुपचुप तरीके से भारतीय क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रवेश करता है, उसकी पहचान स्थापित करना राज्य के लिए लगभग असंभव होता है। हालांकि, कांग्रेस सरकार ने आईएमडीटी अधिनियम कानून बनाया, जिसमें नागरिकता के सबूतों के संदर्भ में स्पष्टता नहीं थी। यही कारण है कि इस कानून के लागू होने के बाद से ही ऐसे घुसपैठियों की पहचान करना और उनकों वापिस भेजना लगभग असंभव हो गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई, 2005 को आईएमडीटी अधिनियम कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसको निरस्त कर दिया था और ऐसे मामलों में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था। इसी के बाद असम के अलग—अलग जिलों में नागरिकों की पहचान करने का काम किया गया।

पश्चिम बंगाल भी बहुत पीछे नहीं है

पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में 4.8.2005 को इस विषय पर अपनी बात कुछ इस तरह रखीः

"बंगाल में घुसपैठ अब आपदा बन गई है। आप सूची में भारतीय नागरिकों के साथ—साथ बांग्लादेशियों के नाम भी देख सकते हैं। मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय मतदाता सूची दोनों हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि सदन में इस पर कब चर्चा की जाएगी?"

भारत की संप्रभुता अपने राजनीतिक प्रवचनों के कारण भारी कीमत चुका रही है। हालांकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 1972 और 1985 में विदेशियों को हटाने और निर्वासन के लिए एक असाधारण निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी का नजरिया इसमें विरोधाभास पैदा करता हैं। इसी प्रकार, 2005 में भाजपा सहयोगी रही ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया था, लेकिन अब

संयुक्त मोर्चे के नेता के रूप में, वह विपरीत बात करती है। क्या भारत की संप्रभुता इस तरह के चंचल दिमाग और नाजुक हाथों से तय की जा सकती है?

इसका नतीजा यह हुआ कि 1961 और 2011 के बीच 50 वर्षों में असम में बहुसंख्यक समुदाय 2.4 गुना बढ़ा है, वहीं इसी दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में 3.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। इन राज्यों की जनसंख्या पर इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है।

एक नागरिक, शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच अंतर

एक नागरिक और शरणार्थी के बीच एक मौलिक अंतर है। संविधान द्वारा नागरिकता को नियंत्रित किया जाता है। जो व्यक्ति कुछ परिस्थितियों के कारण अपने देश छोड़ने और उत्पीड़न के डर से दूसरे देश में शरण लेते हैं, वे शरणार्थी हैं। यह राष्ट्र मानवता के आधार पर, इन शरणार्थियों को जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते है। शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती हैं। शरणार्थी मतदाता नहीं बनते हैं। माना जा सकता है कि साल 1971 से पहले के प्रवासियों ने उत्पीड़न के कारणों भारत में शरण ली, लेकिन यह बात 1971 के बाद आने वाले लोगों पर लागू नहीं होती है, उनके इस कदम को अवैध घुसपैठ ही माना जाऐगा। एक तीसरी श्रेणी है जो न तो नागरिक हैं और न ही शरणार्थी हैं, जो केवल आर्थिक अवसरों की तलाश में किसी भी देश में जाते है। ये अवैध प्रवासी हैं। वह जिस भी देश में जाते है, उसे वह घुसपैठ ही कहा जाएगा। दुनिया के सबसे उदार माने जाने वाले न्यायाधीशों में से एक लॉर्ड डेनिंग ने अपनी पुस्तक 'द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' के भाग 5 की प्रस्तावना में 'प्रवेश और निकास' पर अपना नजरिया देते हुए लिखा है, जिसका पहला पैरा कुछ इस प्रकार है:

"हाल के दिनों में इंग्लैंड पर न ही दुश्मनों और न ही दोस्तों द्वारा हमला किया गया है, लेकिन यह हमला ऐसे लोगों द्वारा किया गया है जो इंग्लैंड को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। यह वह लोग है जिनके यहां गरीबी है, बीमारी है और रहने के लिए मकान भी नहीं है। वहीं इंग्लैंड में सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और गारंटीकृत आवास हैं और इन सभी सुविधाओं के लिए इनकों कोई कीमत भी चुकानी नहीं पड़ती। एक बार यहां आने वाला व्यक्ति यह प्रयास करता है कि वह अपने रिश्तेदार को भी यहां पहुंचा दे, इसलिए इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ जाती हैं।"

विडंबना यह है कि लॉर्ड डेनिंग भी इसे आक्रमण कहते हैं। वहीं, यह याद रखना चाहिए कि नागरिकता अवैध घुसपैठ से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह केवल संविधान और नागरिकता अधिनियम में निर्धारित शर्तों के तहत प्राप्त होती है।

अनुच्छेद 19 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच अंतर

एक निराशाजनक तर्क मानवाधिकार के विषय में दिया जाता है। उत्पीड़न के कारण शरण लेने वाले लोगों के विषय में मानवाधिकार का तर्क दिया जा सकता है, लेकिन अवैध घुसपैठ करने वालों पर यह बात लागू नहीं होती है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19 को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अनुच्छेद 19 भारत के किसी भी हिस्से में जाने और वहां रहकर कार्य करने की अनुमति देता है, लेकिन यह बात केवल एक नागरिक पर ही लागू होती है। हालांकि, अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार और जीने का हक सभी को प्राप्त है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या नहीं। एक नागरिक या गैर नागरिक को जीने के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता से केवल उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार उसे भारत का संविधान प्रदान करता है। यह उसका मानवाधिकार है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने गैर-नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में जाने या भारत में किसी भी हिस्से या क्षेत्र में बसने का अधिकार नहीं दिया। जबकि संविधान निर्माताओं ने केवल 'नागरिकों' पर ही अनुच्छेद 19 लागू किया है, अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार 'व्यक्ति' के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस विभेदन का एक अपना ही तरीका है।

मैंने जो कहा है, उसे दोहराते हुए कहता हूं कि कांग्रेस भारतीय राजनीति में मुख्यधारा की पार्टी थी, लेकिन यह पार्टी अपनी विश्वसनियता खोती जा रही है। फिर चाहें 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोह का पक्ष लेना हो। वहीं, अब यह पार्टी भारत की संप्रभुता से समझौता कर रही है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को यह महसूस करना चाहिए कि भारत की संप्रभुता एक नाटक की बात नहीं है। संप्रभुता और नागरिकता भारत की आत्मा है। आयातित वोट-बैंक नहीं हैं। ■

कांग्रेस भारतीय राजनीति में मुख्यधारा की पार्टी थी, लेकिन यह पार्टी अपनी विश्वसनियता खोती जा रही है। फिर चाहें 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोह का पक्ष लेना हो। वहीं अब यह पार्टी भारत की संप्रभुता से समझौता कर रही है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को यह महसूस करना चाहिए कि भारत की संप्रभुता एक नाटक की बात नहीं है। संप्रभुता और नागरिकता भारत की आत्मा है। आयातित वोट-बैंक नहीं हैं।

(लेखक केन्द्रीय मंत्री हैं)

7.94 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण

ग्रामीण भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तेजी से प्रगति कर रहा है। 31 जुलाई 2018 को भारत में स्वच्छता कवरेज 88.9 प्रतिशत है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 7.94 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 4.06 लाख गांव, 419 जिले और 19 राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। प्रगति की रफ्तार बराबर बनी हुई है और भारत अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त करने की राह पर है।

दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितम्बर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को मंजूरी दी थी, जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्टूबर, 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करना तय हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हो चुकी है और यह मिशन अपने अंतिम पड़ाव के नजदीक है।

वित्त मंत्री द्वारा बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्ष 2018-19 के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 30,343 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई थी। प्रस्ताव था कि 15,343 करोड़ रुपये आम बजटीय समर्थन और शेष 15,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट संसाधनों के जरिए जुटाए जाएंगे। इसके बाद आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में ईवीआर संबंधी संचालन समूह ने नाबार्ड के जरिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 2018-19 के दौरान 15,000 करोड़ रुपये तक ईबीआर को बढ़ाने की सिफारिश की थी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त को निम्नलिखित विषयों को मंजूरी दीः

- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नाबार्ड के जरिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए अतिरिक्त बजट संसाधन के रूप में 15,000 करोड़ रुपये तक निधियों को बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र नामक सोसायटी के कार्य विस्तार को अधिकृत करना, एसबीएम(जी) के लिए ईबीआर निधियों को प्राप्त करना, राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की एजेंसियों के लिए आवंटन और उसका पुनर्भुगतान।
- 'अंतर्राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र' का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केन्द्र' किया जाना।

इस निर्णय से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य लगभग 1.5 करोड़ ग्रामीण घरों को फायदा होगा। देशभर के गांवों में खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त करने और उसे कायम रखने के लिए निधियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ■

चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 350 अरब अमेरिकी डॉलर होने की आशाः सुरेश प्रभु

बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के बावजूद चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 350 अरब अमेरिकी डॉलर होने की आशा है और इसमें आगे भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होती रहेगी। यह बात केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 25 जुलाई को नई दिल्ली में कही।

श्री प्रभु ने कहा कि सेवा क्षेत्र द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय तेज गति प्रदान किया जाना तय है और यह वर्ष 2025 तक 3 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर तक योगदान करेगा। सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय ने 12 प्रमुख सेवा क्षेत्रों की पहचान की है, जिसके लिए कैबिनेट ने 5000 करोड़ रुपये के एक समर्पित कोष को मंजूरी दी है, ताकि क्षेत्रवार त्वरित गति के लिए आवश्यक पहलों को सहयोग प्रदान किया जा सके।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की बढ़ी हुई उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता में उल्लेखनीय योगदान देता है। वहीं, चैम्पियन सेवा क्षेत्रों की उच्च गुणवत्ता भारत से विभिन्न सेवाओं के निर्यात को और ज्यादा बढ़ावा देगी तथा इसके साथ ही रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

श्री सुरेश प्रभु ने यह भी कहा कि भारत अफ्रीका के कई देशों के साथ-साथ लैटिन अमेरिका को भी सेवाओं का निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहा है। भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ एक द्विआयामी एजेंडा तैयार किया हैः भारत से प्रोफेशनलों को विदेश यात्रा की अनुमति देना और सेवा निर्यात में व्यापार संबंधी सहूलियत प्रदान करना। मंत्री महोदय ने एसोचैम का आह्वान किया कि वह सेवाओं के लिए विदेश जाने वाले प्रोफेशनलों के उच्च मानकों को बनाए रखें, ताकि निर्यात की जाने वाली सेवाएं उच्च गुणवत्तापूर्ण रह सकें। ■

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा 60,000 करोड़ रुपये की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जुलाई को लखनऊ का दौरा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दरअसल, ये परियोजनाएं राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन के कुछ महीनों के भीतर ही अस्तित्व में आयीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक देखभाल करने वाली सरकार के रूप में हमारा उद्देश्य लोगों के जीवन से कठिनाईयों को दूर करना एवं जीवन की सुगमता में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य को रूपांतरित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है।

उन्होंने राज्य सरकार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विशिष्ट भागों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये संतुलित विकास में सक्षम बनाएंगी। उन्होंने राज्य सरकार की कार्य संस्कृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के बदले माहौल से रोजगार, व्यापार, अच्छी सड़कों, पर्याप्त बिजली आपूर्ति और एक बेहतर भविष्य के लिए अवसर खुल रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना बहुत संकोच से कह रहे थे कि 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। 'यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है।' उन्होंने कहा कि इतने कम समय में प्रक्रिया को सरल कर इतना बड़ा निवेश बड़ी बात है। मैं भी बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हूं। औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा रहा हूं। यह निवेश कम नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं में गति भी दिखे और संवेदनशीलता भी, ना अपना, ना पराया, ना छोटा, ना बड़ा, सबके साथ समान व्यवहार...'सबका साथ, सबका विकास'। उन्होंने कहा, 'मैंने उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था कि उनके प्यार को ब्याज़ समेत लौटाउंगा। यहां जो परियोजनाएं शुरु हो रही हैं वो उसी वचनबद्धता का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं कई नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराएंगी और समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करेंगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को इन परियोजनाओं से बहुत बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख कॉमन सर्विस सेंटर फैले हुए है, जो प्रभावी एवं पारदर्शी सेवा प्रदायगी को सक्षम बनाने के जरिये ग्रामीण जीवन में बदलाव ला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सिलो को समाप्त कर रही है एवं सॉल्यूशंस तथा सिंक्रोनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है और उत्तर प्रदेश इस विनिर्माण क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद भारत में व्यवसाय करना और भी आसान हो जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स पर आने वाली लागत में कमी आ जाएगी। उन्होंने उद्यमियों एवं व्यापारियों से डिजिटल लेनदेन की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने देश में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश पारंपरिक ऊर्जा से हरित ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा का एक हब बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का ऊर्जा घाटा 2013-14 के 4.2 प्रतिशत से घटकर आज एक प्रतिशत से भी कम रह गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत का रोडमैप जन भागीदारी के जरिये अपने लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना बहुत संकोच से कह रहे थे कि 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। 'यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है।' इतने कम समय में प्रक्रिया को सरल कर इतना बड़ा निवेश बड़ी बात है। मैं भी बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हूं। औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा रहा हूं। यह निवेश कम नहीं है।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

साथ ही श्री मोदी ने देश के कुछ भागों में हो रही भारी वर्षा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है और सभी प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है। ■

रवांडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 परिवारों को दी गाय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 से 27 जुलाई तक रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समेत कई वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। तीन देशों के अपने दौरे में प्रधानमंत्री श्री मोदी सबसे पहले दो दिन की 'ऐतिहासिक' यात्रा पर रवांडा गए, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली रवांडा यात्रा थी। 24 जुलाई को वह युगांडा गए और अंत में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को रवांडा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों को 200 गाय उपहार में दीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के तहत 200 परिवारों को गायों का उपहार दिया। रवांडा में एक सदियों पुरानी सांस्कृतिक प्रथा है, जिसमें सम्मान और कृतज्ञता के रूप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाय देता है। गिरिंका व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति श्री पॉल कागमे की निगरानी में रवांडा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। सबसे गरीब परिवारों को सरकार डेयरी गायों को उपहार में देती है और गाय से पैदा हुई पहली बछिया को पड़ोसी को उपहार में दे दिया जाता है, इस प्रकार से समुदाय में भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा दिया जाता है।

साथ ही, भारत और रवांडा के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने चमड़ा एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने रवांडा में विशेष आर्थिक क्षेत्र और तीन कृषि परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर ऋण देने की पेशकश की। यही नहीं, श्री मोदी ने जल्दी ही किगाली में भारतीय उच्चायोग स्थापित किये जाने की मंजूरी भी दी।

भारतवंशी हमारे ''राष्ट्रदूत'' हैं: नरेन्द्र मोदी

भारत और रवांडा की मित्रता पर भारतवंशियों द्वारा डाले गये सकारात्मक प्रभावों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हुए भारतवंशी खुद को विशिष्ट साबित करते हुए उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, ''भारतवंशी पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वे हमारे ''राष्ट्रदूत'' हैं।''

रवांडा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पॉल कागमे ने कल उन्हें पूर्व अफ्रीकी देश में भारतीय समुदाय के कार्यों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''रवांडा में भारतीय समुदाय के साथ खुशगवार बातचीत हुई। भारतवंशी पूरी दुनिया में अपने आप को विशिष्ट साबित कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। रवांडा में रहने वाले भारतवंशियों का भारत-रवांडा संबंधों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव है।''

उन्होंने लिखा, ''रवांडा में भारतीय समुदाय से बातचीत करके मुझे खुशी हो रही है। राष्ट्रपति पॉल कागमे ने मुझसे कहा कि भारतीय समुदाय रवांडा के विकास में योगदान कर रहा है और वह बड़े पैमाने पर समाज सेवा करते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई।'' इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी 1994 नरसंहार में मारे गए 2,50,000 लोगों की याद में बने रवांडा के नरसंहार स्मारक केंद्र गये।

भारत–युगांडा के बीच हुए चार अहम समझौते

युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति श्री योवेरी कागुटा मुसेवेनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24-25 जुलाई 2018 को युगांडा का दौरा किया। 21 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युगांडा की संसद को भी संबोधित किया।

यात्रा के दौरान उन्होंने 24 जुलाई 2018 को एनटेबे स्थित स्टेट-हाउस में राष्ट्रपति श्री मुसेवेनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि द्विपक्षीय संबंधों में अपार क्षमता है। दोनों ने राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, तकनीकी, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत बनाने की द्विपक्षीय प्रतिबद्धता दोहराई। यात्रा के दौरान निम्न समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये :

- रक्षा सहयोग पर समझौता
- कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट पर समझौता
- सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर समझौता
- जांच प्रयोगशालाओं पर समझौता

राष्ट्रपति श्री मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रीय विकास और आर्थिक उन्नति में वहां रहने वाले 30 हजार भारतीय प्रवासियों के योगदान की प्रशंसा की। भारत ने क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण तथा शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए युगांडा की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

10 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (दक्षिण अफ्रीका)

आज दुनिया अनेक प्रकार के बदलावों से चौराहे पर: नरेंद्र मोदी

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का दसवां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय कारोबार और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया अनेक प्रकार के बदलावों से चौराहे पर है। नई औद्योगिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटरफ़ेस जिस नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, वह एक अवसर भी है, और एक चुनौती भी। नई प्रणालियों और उत्पादों से आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।

आज दुनिया अनेक प्रकार के बदलावों से चौराहे पर है। नई औद्योगिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटरफ़ेस जिस नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, वह एक अवसर भी है, और एक चुनौती भी। नई प्रणालियों और उत्पादों से आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और प्रगति के केंद्र में हमेशा लोग और मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी जगत में चौथी औद्योगिक क्रांति के उन परिणामों पर भी हमें गंभीर विचार करने की ज़रुरत है जो हम जैसे देशों की जनता और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए तीन समझौते

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने तीन समझौतों पर दस्तखत किए। इसमें कृषि क्षेत्र और अंतरिक्ष सहयोग शामिल है। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर श्री मोदी और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा ने द्विपक्षीय मुलाकात में द्विपक्षीय व्यापार में हुई वृद्धि पर संतोष जताया। ■

'प्रतिभा निखारने का बेहतर प्रयास हुआ'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित "खेलो इंडिया" कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया और देश के युवाओं से खेलों के माध्यम से विश्व में भारत की संस्कृति का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया। ज्ञात हो कि "खेलो इंडिया" कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में अखिल भारतीय स्तर पर देश के 27 राज्यों, 733 जिलों और 11000 से अधिक मंडलों में कई प्रकार के प्रतिस्पर्द्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग एक लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में "खेलो इंडिया" के इस कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन), श्री रामलाल, राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव, भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी एवं कई अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक पार्टी जब तक अपने राजनीतिक कार्यों से ऊपर उठकर समाज के कार्यों के साथ नहीं जुड़ती, युवाओं के साथ नहीं जुड़ती, तब तक वह समाज का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को समाज के साथ एकरस होकर समरूप होने का प्रयास करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना से लेकर आज तक की अपनी यात्रा को सदैव देश की आम जनता और समाज के सभी वर्गों के साथ जोड़ने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि "खेलो इंडिया" के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समग्र देश के युवाओं को जोड़ने का जो अभिनव प्रयास किया है और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का जो एक बेहतर मंच प्रदान करने का अत्यंत सराहनीय एवं सफल प्रयास किया है, इसके लिए मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा को हार्दिक बधाई देता हूं।

मिट्टी से जुड़े खेलों की विभिन्न विधाओं की चर्चा करते हुए श्री शाह ने बताया कि मैं जब भी शहरी क्षेत्र के बच्चों को देखता हूं, तो विचार आता है कि ये बच्चे कितनी अच्छी चीजों से महरूम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन और तनाव कम करने का ही साधन नहीं है, खेल केवल प्रतिभा को ही आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि खेल हारने की आदत भी डालता है और जीतने का जज्बा भी। खेल हमें हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निखारने एवं संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि जीवन के शुरुआती दौर भी ही एक बच्चा खेल और हार-जीत को जीने की दुनिया से महरूम हो जाता है तो उसका पूरा जीवन अधूरा ही रह जाता है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन एवं उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने "खेलो इंडिया" के अभियान के तहत आयोजित इस अखिल भारतीय स्पर्द्धा में सभी खेल देश की मिट्टी की सुगंध से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से ही निकले हुए हैं। उन्होंने कहा कि खेल शरीर की ताकत और स्फूर्ति को तो बढ़ाते ही हैं। साथ ही, वे पंचतत्वों में से एक तत्व मिट्टी के साथ भी शरीर को जोड़ते हैं जो व्यक्ति को जमीन के साथ जोड़े रखने में बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि खेलों का सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि खेलों के बाहर भी यदि सामाजिक जीवन में कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करता है तो यही कहा

जाता है कि वे 'स्पोर्ट्समैन स्पिरिट' से आगे बढ़ रहे है, उन्होंने खेल भावना का परिचय दिया है। यही खेल के व्यापक महत्व को दर्शाता है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने "खेलो इंडिया" के माध्यम से पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने का सत्यनिष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करने से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र सेवा को अपना धर्म मानने वाले श्री नरेन्द्र मोदी का समग्र देश की जनता से एक ही आग्रह रहा है कि ओलम्पिक एवं एशियाई खेलों की मैडल तालिका में इम्प्रूव करने का संयुक्त प्रयास देश को करना चाहिए। ■

हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति चुने गये

जदयू के राज्यसभा सदस्य श्री हरिवंश को 9 अगस्त को उच्च सदन के उपसभापति पद के लिए चुना गया। उन्हें विपक्ष की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री बी. के. हरिप्रसाद को मिले 105 मतों के मुकाबले 125 मत मिले। सदन की कार्यवाही शुरु होने पर सभापति श्री एम वैंकेया नायडू ने सदन पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवाने के बाद उपसभापति पद की चुनाव प्रक्रिया शुरु करवायी। मतदान में दो सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया। सदन में कुल 232 सदस्य मौजूद थे।

श्री हरिवंश के पक्ष में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, जदयू के श्री आर. सी. पी. सिंह, शिव सेना के श्री संजय राउत और अकाली दल के श्री सुखदेव सिंह ढींढसा ने प्रस्ताव किया। वहीं श्री हरिप्रसाद के लिये बसपा के श्री सतीश चंद्र मिश्रा, राजद की मीसा भारती, कांग्रेस के श्री भुवनेश्वर कालिता, सपा के श्री रामगोपाल यादव और राकांपा की वंदना चव्हाण ने प्रस्ताव पेश किया। इन प्रस्तावों पर मतविभाजन के बाद सभापति श्री नायडू ने श्री हरिवंश को उपसभापति निर्वाचित घोषित किया। इसके बाद श्री हरिप्रसाद ने श्री हरिवंश को उनके स्थान पर जाकर बधाई दी। नेता सदन श्री अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्यमंत्री श्री अनंत कुमार और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री विजय गोयल ने श्री हरिवंश को बधाई देते हुये उन्हें उपसभापति के निर्धारित स्थान पर बिठाया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री हरिवंश को शुभकामनायें देते हुये उनके विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव के हवाले से उनके निर्वाचन को सदन के लिये गौरव का विषय बताया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सदस्य श्री पी जे कुरियन के पिछले महीने सेवानिवृत्त होने के बाद उपसभापति का पद खाली हुआ था।

हरिवंशजी के अनुभवों से सांसदों को मिलेगा लाभ : नरेन्द्र मोदी

जदयू नेता श्री हरिवंश के राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह समाज के निचले स्तर के लोगों से जुड़े रहे हैं और उनके अनुभवों से पूरे सदन को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंशजी के चार दशक की पत्रकारिता सामाजिक कारणों से जुड़ी हुई थी, राज-कारण से नहीं। यह सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने समाज कारण वाली पत्रकारिता से अपने को जोड़े रखा और राज- कारण वाली पत्रकारिता से खुद को दूर रखा। वह जन आंदोलन के रूप में अखबार को चलाते थे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि हरिवंश के अनुभव और समाज कारणों के प्रति समर्पण से सबको लाभ मिलेगा।

जीवन परिचय

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताबदियारा गांव में 30 जून, 1956 को जन्मे श्री हरिवंश को श्री जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही मुंबई में उनका 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समूह में प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में 1977-78 में चयन हुआ। वह टाइम्स समूह की साप्ताहिक पत्रिका 'धर्मयुग' में 1981 तक उपसंपादक रहे।

उन्होंने 1981-84 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। 1984 में उन्होंने पत्रकारिता में वापसी की और 1989 अक्तूबर तक आनंद बाजार पत्रिका समूह से प्रकाशित 'रविवार' साप्ताहिक पत्रिका में सहायक संपादक रहे। श्री हरिवंश ने वर्ष 1990-91 के कुछ महीनों तक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार (संयुक्त सचिव) के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम किया। ढाई दशक से अधिक समय तक 'प्रभात खबर' के प्रधान संपादक रहे श्री हरिवंश को जनता दल (यूनाइटेड) ने राज्यसभा में भेजा।

श्री हरिवंश ने कई पुस्तकें लिखी और संपादित की हैं। इनमें 'दिसुम मुक्तगाथा और सृजन के सपने', 'जोहार झारखंड', 'झारखंड अस्मिता के आयाम', 'झारखंड सुशासन अभी भी संभावना है', 'बिहार रास्ते की तलाश' शामिल हैं। ■

लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान कहा कि हमारी यह भारत-भूमि बहुरत्ना वसुंधरा है। जैसे संतों की एक महान परंपरा हमारे देश में रही, उसी तरह से सामर्थ्यवान मां-भारती को समर्पित महापुरुषों ने, इस धरती को अपना जीवन आहुत कर दिया, समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महापुरुष हैं लोकमान्य तिलक, जिन्होंने अनेक भारतीयों के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम 23 जुलाई को तिलक जी की जयंती और 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि में उनका पुण्य स्मरण करते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें ब्रिटिश शासकों को उनकी गलतियों का आईना दिखाने की शक्ति और बुद्धिमत्ता थी। अंग्रेज़ लोकमान्य तिलक से इतना अधिक डरे हुए थे कि उन्होंने 20 वर्षों में उन पर तीन बार राजद्रोह लगाने की कोशिश की और यह कोई छोटी बात नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया और नारा दिया था – 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे।' आज ये कहने का समय है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। हर भारतीय की पहुंच सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों तक होनी चाहिए। यही वो बात है जो एक नए भारत का निर्माण करेगी।

श्री मोदी ने कहा कि मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था और जब लोकमान्य तिलक जी को याद कर रहा हूं तब फिर से एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार भी हम गणेश उत्सव मनाएं, धूमधाम से मनाएं, जी-जान से मनाएं लेकिन इको-फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने का आग्रह रखें। गणेश जी की मूर्ति से लेकर साज-सज्जा का सामान सब कुछ इको-फ्रेंडली हो और मैं तो चाहूंगा हर शहर में इको-फ्रेंडली गणेश उत्सव की अलग स्पर्धाएं हों, उनको इनाम दिए जाएं और मैं तो चाहूंगा कि MyGov पर भी और नरेंद्र मोदी एप्प पर भी इको-फ्रेंडली गणेश-उत्सव की चीज़े व्यापक प्रचार के लिए रखी जाएं। मैं ज़रूर आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि तिलक के जन्म के 50 वर्षों बाद ठीक उसी दिन यानी 23 जुलाई को भारत-मां के एक और सपूत का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान कर दिया ताकि देशवासी आज़ादी की हवा में सांस ले सके। मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आज़ाद की। भारत में कौन-सा ऐसा नौजवान होगा जो इन पंक्तियों को सुनकर प्रेरित नहीं होगा:

'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-कातिल में है'

इन पंक्तियों ने अशफाक़ उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक नौज़वानों को प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद की बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए उनका जुनून, इसने कई युवाओं को प्रेरित किया। आज़ाद ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन विदेशी शासन के सामने वे कभी नहीं झुके।

श्री मोदी ने कहा कि आषाढ़ी एकादशी जो इस बार 23 जुलाई को थी उस दिन को पंढरपुर वारी की भव्य परिणिति के रूप में भी मनाया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक पवित्र शहर है। आषाढ़ी एकादशी के लगभग 15-20 दिन पहले से ही वारकरी यानी तीर्थयात्री पालकियों के साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए पैदल निकलते

हैं। इस यात्रा, जिसे वारी कहते हैं, में लाखों की संख्या में वारकरी शामिल होते हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की पादुका, पालकी में रखकर विट्ठल-विट्ठल गाते, नाचते, बजाते पैदल पंढरपुर की ओर चल पड़ते हैं। यह वारी शिक्षा, संस्कार और श्रद्धा की त्रिवेणी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम- अनगिनत संत महाराष्ट्र में आज भी जन-सामान्य को शिक्षित कर रहे हैं। अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रहे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में यह संत परंपरा प्रेरणा देती रही है। चाहे वो उनके भारुड हो या अभंग हो हमें उनसे सदभाव, प्रेम और भाईचारे का महत्वपूर्ण सन्देश मिलता है। अंधश्रद्धा के खिलाफ श्रद्धा के साथ समाज लड़ सके इसका मंत्र मिलता है। ये वो लोग थे जिन्होंने समय-समय पर समाज को रोका, टोका और आईना भी दिखाया और यह सुनिश्चित किया कि पुरानी कुप्रथाएं हमारे समाज से खत्म हों और लोगों में करुणा, समानता और शुचिता के संस्कार आएं। ■

वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी

समेकित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहनः राधामोहन सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के दृष्टिकोण को सफल बनाने हेतु वैज्ञानिक ढंग से निरूपित एवं यथानुकूल समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस) को प्रोत्साहन दिया रहा है। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने किसानों की सुनिश्चित आजीविका एवं आय में वृद्धि के लिए समन्वित कृषि प्रणाली के विषय पर 2 अगस्त को आयोजित एक बैठक में दी। बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य, सरकारी अधिकारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिक शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि समेकित कृषि प्रणाली को प्राकृतिक एवं उद्देश्यपूर्ण समेकित प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं। प्राकृतिक समेकित कृषि किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली वह पद्धति हैं, जिसमें प्रणाली के विभिन्न अवयवों/घटकों में प्रायः तालमेल नहीं होता हैं। अतः उद्देश्यपूर्ण समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत बहुउद्देशीय जैसे उत्पादन में वृद्धि, लाभ, पुनर्चक्रण द्वारा लागत में कमी, पारिवारिक पोषण, टिकाऊपन, पारिस्थितिकीय सुरक्षा, रोजगार सृजन, आर्थिक क्षमता एवं सामाजिक समरसता का ख्याल रखा जाता हैं।

माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश की विदेशों से आयातित खाद्यान्न पर निर्भरता खत्म करने हेतु अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकास कर तथा उर्वरकों द्वारा उत्पादन बढ़ाकर देश के खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति की गई, परन्तु बाद में उर्वरक उपयोग क्षमता कम होने के कारण उत्पादकता कम हुई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी घटती गई। उन्होंने बताया कि भारतीय संसद में प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षो की अवधि के दौरान किसानों की आय में फसलोत्पादन द्वारा वृद्धि का योगदान महज एक प्रतिशत रहा, जबकि पशुधन का योगदान सात प्रतिशत रहा।

श्री सिंह ने कहा कि भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से लघु फार्म (2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक) का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में फसलों, बागवानी, पुष्पोत्पादन, सस्य-वानिकी तथा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि संबंधी उद्यम जिनमें कम जमीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, खेत के चारों तरफ वृक्षारोपण आदि को स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित किया जा रहा हैं, जिससें सीमांत एवं लघु किसानों की आजीविका में सुधार हो सके। ■

महाराष्ट्र नगरपालिका चुनावों में भाजपा ने विजय प्राप्त की

प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने भाजपा में भरोसा रखने पर लोगों को धन्यवाद दिया

3 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों को भाजपा पर ''भरोसा'' रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। भाजपा ने दो नगर निगम चुनावों में विजय प्राप्त की। भाजपा ने सांगली नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस–एनसीपी गठजोड़ को पराजित कर बड़ी विजय प्राप्त की और साथ ही जलगांव नगरपालिका में भी विजय हासिल की, जहां उसने शिवसेना को पराजित किया।

"भाजपा महाराष्ट्र के लिए प्रभावशाली जीत! जलगांव में शानदार प्रदर्शन एवं सांगली में जोरदार जीत" प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं महाराष्ट्र की सम्पूर्ण टीम की कठिन परिश्रम की सराहना करता हूं, जिसमें मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस की पूरी टीम ने सराहनीय काम किया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इस विजय की सराहना करते हुए कहा, "महाराष्ट्र में भाजपा के लिए जारी समर्थन लोगों

की इस इच्छा का प्रतीक है कि वे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस प्रदान कर रहे हैं। मोदी सरकार महाराष्ट्र को और भी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।" ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मिलता ओबीसी सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधिमंडल

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों से संवाद करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अपनी अफ्रीका यात्रा के दौरान किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति श्री पॉल कागमे से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20